

**भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
दीवानी मूल क्षेत्राधिकार**

रिट याचिका (सिविल) संख्या 335 / 2024

वंशिका यादव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

साथ ही

रिट याचिका (सिविल) सं. 362/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 369/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 368/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 431/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 379/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 377/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 376/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 375/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 425/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 401/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 415/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 407/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 412/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 383/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 419/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 406/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 403/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 414/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 423/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 427/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 441/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 420/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 430/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 446/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 410/2024 के साथ
स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं. 1602/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 382/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 394/2024 के साथ

रिट याचिका (सिविल) सं. 384/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 389/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 417/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 393/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 435/2024 के साथ
रिट याचिका (सिविल) सं. 449/2024 के साथ
तथा
रिट याचिका (सिविल) सं. 392/2024 के साथ।

हैडनोट:

वर्तमान निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्नातक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET)की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार किया। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि NEET परीक्षा देशभर में शिक्षा की गुणवत्ता, समानता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन है, और यहसंविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21के अनुरूप है। न्यायालय ने यह भी प्रतिपादित किया कि यह एकीकृत प्रवेश परीक्षाभारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक वैध और अनिवार्य उपकरणहै(प्रमुखता प्रदत्त)। परिणामस्वरूप, सभी याचिकाएं अस्वीकार कर दी गईं।

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, मुख्य न्यायाधीश (CJI)

विषय-सूची

क. पृष्ठभूमि.....	4
ख. न्यायालय के पूर्व आदेश.....	6
ग. पक्षकारों के तर्क.....	11
घ. विचारार्थ प्रश्न.....	15
ङ. न्यायालय का विश्लेषण.....	15
i. सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्य.....	15
(a) NTA द्वारा प्रस्तुत प्रचनपत्रों की अभिरक्षा श्रृंखला (Chain of Custody) का विवरण.....	15
(b) हजारीबाग, सवाई माधोपुर, पटना एवं अन्य स्थानों से संबंधित मुद्दे.....	17
ii. एक प्रश्न हेतु प्रदान किए गए अंक संशोधित किए जाने आवश्यक हैं क्योंकि केवल एक विकल्प ही सही उत्तर है।.....	19
iii. इस मामले में डेटा का विश्लेषण करने में IIT मद्रास के निदेशक के साथ हितों के टकराव की कोई स्थिति नहीं है.....	21
iv. वर्तमान तिथि तक किसी प्रकार की किसी सुनियोजित/प्रणालीगत (systemic) लीक के अस्तित्व का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है.....	23
क. विधिक स्थिति.....	23
ख. वर्तमान प्रकरण.....	27
च. एनटीए (NTA) का आचरण: चिंतन का विषय.....	35
छ. परीक्षा के संचालन से संबंधित समस्याएँ और केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का कार्यक्षेत्र.....	38
ज. अंतिम टिप्पणियाँ.....	41

1. इन याचिकाओं के समूह का संबंध राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की वैधता से है, जो स्नातक छात्रों के लिए आयोजित की जाती है। इन याचिकाओं का निपटारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2024 को दिए गए निर्णय के अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार कर दिया गया था। उक्त आदेश के पीछे के विस्तृत कारण बाद में प्रस्तुत किए जाने थे। वे इस निर्णय में दर्ज किए जा रहे हैं।

क. पृष्ठभूमि

2. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (National Testing Agency - NTA) प्रत्येक वर्ष मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) का आयोजन करती है। MBBS पाठ्यक्रम हेतु कुल 1,08,000 सीटें उपलब्ध हैं। MBBS पाठ्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सीटों में से लगभग 56,000 सीटें सरकारी अस्पतालों से संबद्ध मेडिकल कॉलेजों में हैं और लगभग 52,000 सीटें निजी कॉलेजों में स्थित हैं। दंत चिकित्सा (Dentistry), आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति के स्नातक पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश हेतु NEET के परिणामों का उपयोग किया जाता है।
3. NEET परीक्षा में चार विषय-भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक भाग में 45 प्रश्न होते हैं, कुल मिलाकर 180 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए चार अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाता है। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए जाते हैं, उनके लिए कोई अंक (सकारात्मक या नकारात्मक) प्रदान नहीं किए जाते। इस प्रकार कुल परीक्षा का पूर्णांक 720 होता है। परीक्षा का कुल समय 3 घंटे 20 मिनट था।
4. इस वर्ष, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने NEET परीक्षा हेतु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए पोर्टल 9 फरवरी 2024 को खोला। NEET परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को किया गया, जिसमें 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। परीक्षा का संचालन 571 शहरों के 4750 परीक्षा केंद्रों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, यह परीक्षा विदेशों के चौदह शहरों में भी आयोजित की गई। परीक्षा के तुरंत बाद यह जानकारी सामने आई कि प्रश्नपत्र का लीक होना या कुछ छात्रों के मध्य परीक्षा आयोजित होने से पूर्व उसका अवैध रूप से प्रसारित किया जाना सामने आया, विशेष रूप से झारखंड के हजारीबाग और पटना में। इस संदर्भ में विभिन्न राज्यों – जिनमें बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और झारखंड सम्मिलित हैं – में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार पुलिस द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें बताया गया कि उसकी आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offences Unit) ने प्रश्नपत्र लीक से संबंधित प्रकरण में पटना से तेरह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही, ऐसा भी प्रतीत होता है कि आर्थिक अपराध इकाई के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा यह वक्तव्य जारी किया गया कि इकाई द्वारा कोई औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

5. जब NTA द्वारा 4 जून 2024 को परिणाम घोषित किए गए, तब यह तथ्य सामने आया कि परीक्षा के पूर्ण निर्धारित समय (3 घंटे 20 मिनट) का उपयोग न कर पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों को कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनुग्रह अंक (grace marks) प्रदान किए गए थे। ये अंक NTA द्वारा गठित शिकायत निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) की सिफारिश पर दिए गए थे। अनुग्रह अंक प्रदान किए जाने के बाद इन परीक्षार्थियों का प्राप्तांक -20 से 720 तक रहा।
6. प्रश्नपत्र लीक होने तथा अभ्यर्थियों द्वारा अन्य अनुचित साधनों को अपनाए जाने की जांच प्रारंभ में बिहार राज्य पुलिस द्वारा की जा रही थी, जिसे पश्चात् बिहार की आर्थिक अपराध इकाई (Economic Offences Unit) को स्थानांतरित कर दिया गया। इसके उपरान्त, उक्त जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation - CBI) को सौंप दी गई।
7. विभिन्न रिट याचिकाएं, अन्य बातों के साथ-साथ, परीक्षा को रद्द करने एवं पुनः परीक्षा आयोजित किए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई। इन याचिकाओं में विभिन्न रूपों में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों की मांग की गई:
 - (a) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया जाए;
 - (b) 6 जुलाई 2024 से प्रस्तावित काउंसलिंग प्रक्रिया पर स्थगनादेश जारी किया जाए;
 - (c) सभी राज्यों को यह निर्देश दिया जाए कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं की जांच हेतु विशेष जांच दल (Special Investigation Teams) गठित करें और इस संबंध में स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें;
 - (d) एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, जो:
 - (i) परीक्षा प्रक्रिया एवं परिणामों की जांच करे; और
 - (ii) परीक्षा संचालन प्रक्रिया में सुधार हेतु अनुशंसाएं प्रस्तुत करे;
 - (e) NTA द्वारा जारी सूचना बुलेटिन के उस भाग को निरस्त किया जाए जो उन प्रश्नों के बीच भेद करता है जो पूरी तरह गलत हैं और जिनमें दो विकल्प गलत हैं;
 - (f) भविष्य में प्रश्नपत्र लीक होने से रोकने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाएं;
 - (g) NTA को निर्देशित किया जाए कि वह संशोधित अंकों के आधार पर परिणाम, रैंक एवं परसेंटाइल को ठीक करे और पुनः प्रकाशित करे;
 - (h) कुछ अभ्यर्थियों को असमान रूप से अनुग्रह अंक (grace marks) प्रदान किए जाने को मनमाना एवं अवैध घोषित किया जाए; और
 - (i) परीक्षा परिणामों की घोषणा पर स्थगनादेश जारी किया जाए।

ख. न्यायालय के पूर्व आदेश

8. कुछ ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने NEET परीक्षा में भाग लिया था, ने 1563 अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक (compensatory marks) प्रदान किए जाने के विभिन्न आधारों पर आपत्ति प्रकट की। इस न्यायालय ने अपने दिनांक 13 जून 2024 के आदेश में यह उल्लेख किया कि NTA ने इस मुद्दे पर पुनर्विचार हेतु एक अन्य समिति का गठन किया है। यह दूसरी समिति 10, 11 एवं 12 जून 2024 को बैठक कर उन आपत्तियों पर विचार करने हेतु एकत्र हुई जो विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई थीं। समिति ने यह अनुशंसा की कि प्रदत्त अनुग्रह अंक निरस्त किए जाएं और जिन अभ्यर्थियों को ये अंक दिए गए थे, उन्हें पुनः परीक्षा देने का विकल्प प्रदान किया जाए।
9. जिन 1563 अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक प्रदान किए गए थे, उन्हें दो विकल्प दिए गए – वे या तो पुनः परीक्षा (re-test) में सम्मिलित होना चुन सकते थे, ऐसी स्थिति में उनकी रैंक केवल पुनः परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जाती; अथवा वे अपनी मूल परीक्षा में प्राप्त अंकों को प्रतिपूरक अंकों के बिना यथावत् बनाए रख सकते थे। इस न्यायालय ने उक्त प्रक्रिया को न्यायसंगत, युक्तिसंगत तथा औचित्यपूर्ण पाया। न्यायालय ने यह भी अभिलेखित किया कि NTA ने यह प्रस्तुत किया कि पुनः परीक्षा का आयोजन 23 जून 2024 को किया जाएगा और परिणाम 30 जून 2024 से पूर्व घोषित कर दिए जाएंगे। पुनः परीक्षा आयोजित की गई तथा उसके परिणाम घोषित कर दिए गए।
10. इस न्यायालय ने अपने दिनांक 8 जुलाई 2024 के आदेश में याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत मुख्य तर्कों को अभिलेखित किया। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि क्या प्रश्नपत्र लीक की घटना केवल पटना तक सीमित थी या विभिन्न शहरों में फैली हुई थी – इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श के लिए स्थान सुरक्षित रखा जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह परीक्षण कि क्या पुनः परीक्षा (re-test) का आदेश दिया जाना चाहिए, निम्नलिखित पहलुओं पर आधारित है:
 - (a) क्या कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर (systemic level) पर हुआ था;
 - (b) क्या उल्लंघन ऐसा था जिससे संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और अखंडता प्रभावित हुई; तथा
 - (c) क्या धोखाधड़ी से लाभान्वित हुए अभ्यर्थियों को निर्दोष (untainted) अभ्यर्थियों से पृथक किया जाना संभव है।
11. न्यायालय ने इस प्रकार के प्रकरण में प्रतिस्पर्धात्मक पक्षों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी कीं:

“12. ऐसी स्थिति में, जहाँ किसी परीक्षा की शुद्धता में हुआ उल्लंघन संपूर्ण प्रक्रिया को प्रभावित करता है और यह संभव नहीं

होता कि अनुचित साधनों से लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को
अन्य

अभ्यर्थियों से पृथक किया जा सके, वहाँ पुनः परीक्षा (re-test) आयोजित किया जाना ही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प प्रतीत होता है। इसके विपरीत, जहाँ उल्लंघन विशिष्ट क्षेत्रों अथवा केंद्रों तक सीमित हो और यह संभव हो कि अनुचित लाभ प्राप्त करने वालों की पहचान की जा सके, वहाँ ऐसे परिदृश्य में – विशेषकर जब परीक्षा इतनी व्यापक स्तर पर आयोजित की गई हो और जिसमें 23 लाख से अधिक अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हों – पुनः परीक्षा का आदेश देना उचित नहीं माना जा सकता। न्यायालय इस तथ्य से भी आँखें नहीं मूँद सकता कि इतने विशाल संख्या में छात्र इस परीक्षा के लिए वर्षों से अध्ययन कर रहे होते हैं, आर्थिक व्यय वहन करते हैं, और यदि पुनः परीक्षा का आदेश दिया जाए, तो उन्हें फिर से समस्त कठोर तैयारी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इन सभी पहलुओं के मध्य संतुलन स्थापित करने हेतु यह आवश्यक है कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं अखंडता पर उल्लंघन के प्रभाव एवं उसकी सीमा का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाए, जिससे सभी संबंधित पक्षों के प्रति न्याय सुनिश्चित हो सके।”

12. यह उल्लेख करते हुए कि इस प्रकरण में अंतिम निर्णय उन अधिक विस्तृत तथ्यों पर निर्भर करेगा जिन्हें अभिलेख पर लाया जाना आवश्यक है, न्यायालय ने भारत संघ, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA), तथा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को कुछ विशेष खुलासे करने हेतु पाँच निर्देश जारी किए। सर्वप्रथम, NTA को उस तिथि तक उपलब्ध समस्त सामग्री के आधार पर निम्नलिखित पहलुओं को स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया:

“14. ... (i) NTA को प्रश्नपत्र लीक की जानकारी सर्वप्रथम कब और किस प्रकार प्राप्त हुई, इसमें आंतरिक सूचनाएं अथवा बाहरी रिपोर्टें सम्मिलित हैं या नहीं, यह स्पष्ट किया जाए;

(ii) वे नगर, शहर अथवा परीक्षा केंद्र जिनमें प्रश्नपत्र लीक की घटना का संज्ञान लिया गया हो अथवा जहाँ अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र लीक की शिकायत की हो, उनका विवरण प्रस्तुत किया जाए;

(iii) वह माध्यम जिससे प्रश्नपत्र लीक हुआ और वह किस प्रकार से अभ्यर्थियों या अन्य व्यक्तियों तक पहुँचा, जिन्होंने आगे उसे अन्य अभ्यर्थियों को वितरित किया – इस प्रक्रिया का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। अन्य शब्दों में, यह बताया जाए कि लीक किस माध्यम से हुआ – क्या वह इलेक्ट्रॉनिक (जैसे कि सोशल मीडिया या मोबाइल ऐप्स) था या भौतिक रूप में, और उससे संबंधित साक्ष्य अभिलेख पर लाए जाएं;

(iv) लीक की घटना (या लीक की आशंका) और वास्तविक परीक्षा का आयोजन – जो 5 मई 2024 को अपराह्न 2:00 बजे से 5:20 बजे

तक हुआ – के मध्य कितने समय का अंतर था, इसका विवरण प्रस्तुत किया जाए;

(v) प्रश्नपत्र की तैयार होने की प्रक्रिया से लेकर परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों तक पहुँचने तक की सम्पूर्ण 'चेन ऑफ कस्टडी' (chain of custody) का विवरण प्रस्तुत किया जाए; तथा

(vi) यह स्पष्ट किया जाए कि क्या सम्पूर्ण प्रश्नपत्र लीक हुआ था या केवल कुछ खंड अथवा विशिष्ट प्रश्न ही लीक हुए थे।”

13. द्वितीय, न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के जांच अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वह एक स्थिति रिपोर्ट (Status Report) दाखिल करें, जिसमें अब तक की गई जांच की प्रगति तथा एकत्र की गई सामग्री का विवरण प्रस्तुत किया जाए। जांच अधिकारी को यह भी निर्देशित किया गया कि वे यह स्पष्ट करें कि प्रश्नपत्र लीक किस विधि से छात्रों को उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, NTA और CBI – दोनों को यह भी निर्देश दिया गया कि वे इस विषय में खुलासा करें कि प्रश्नपत्र लीक से लाभान्वित अभ्यर्थियों की पहचान हेतु अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्हें निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष रूप से विवरण देने का निर्देश दिया गया:

“16. ... (i) NTA द्वारा उन केंद्रों/शहरों की पहचान करने हेतु क्या कदम उठाए गए जहाँ प्रश्नपत्र लीक की घटनाएँ हुई;

(ii) लीक से लाभान्वित अभ्यर्थियों की पहचान करने की प्रक्रिया क्या रही; तथा

(iii) अब तक कितने अभ्यर्थियों की पहचान की जा चुकी है जो लीक प्रश्नपत्रों से लाभान्वित हुए थे, और वे किस-किस परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए थे।”

14. तृतीय, भारत संघ (Union of India) और NTA को यह जानकारी न्यायालय को देने हेतु निर्देशित किया गया कि क्या डेटा एनालिटिक्स (data analytics) का उपयोग करके संदेहास्पद मामलों की पहचान करना व्यावहारिक रूप से संभव है। यदि यह पद्धति व्यावहारिक पाई जाती है, तो ऐसे मामलों की पहचान हेतु प्रयुक्त मापदंड (जैसे कि असामान्य अंक-प्रवृत्तियाँ) को अभिलेख पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. चतुर्थ, NTA को यह प्रस्तुति देने हेतु निर्देशित किया गया था कि प्रश्नपत्र लीक से लाभान्वित अभ्यर्थियों की आगे की पहचान हेतु NTA अथवा भारत सरकार द्वारा संभावित रूप से किए जाने वाले प्रयासों के परिप्रेक्ष्य में परामर्श प्रक्रिया (counselling) की स्थिति पर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए।

16. अंततः, सरकार को यह सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया कि भविष्य में NEET परीक्षा की शुद्धता (sanctity) से कोई समझौता न हो, तथा वर्ष 2024 में उत्पन्न हुई समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो – इस हेतु किन कदमों को अपनाया जा रहा है। न्यायालय का मत था कि यह अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि परीक्षा में

सम्मिलित हुए छात्रों के करियर दांव पर हैं और उन्हें परीक्षा प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की कि सरकार को विशेषज्ञों के साथ एक बहु-अनुशासनात्मक समिति (multi-disciplinary committee) के गठन पर विचार करना चाहिए, जो NEET तथा NTA द्वारा संचालित अन्य परीक्षाओं में संभावित उल्लंघनों को रोकने हेतु उपाय सुझा सके। यदि ऐसी कोई समिति पूर्व में गठित की जा चुकी हो, तो न्यायालय को उसकी संरचना से अवगत कराया जाए, ताकि यह विचार किया जा सके कि क्या समिति की संरचना को और अधिक सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

17. भारत संघ तथा NTA ने उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन में शपथ-पत्र दाखिल किए। शिक्षा मंत्रालय ने 2024 के NEET परीक्षा परिणामों पर समग्र डेटा विश्लेषण (comprehensive data analytics) कराने के लिए IIT मद्रास से अनुरोध किया। IIT मद्रास द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट भी न्यायालय को सौंपी गई।
18. दिनांक 18 जुलाई 2024 को, इस न्यायालय ने श्री नरेंद्र हुड्डा, याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता, द्वारा प्रस्तुत विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत तर्कों को सुना। भारत संघ की ओर से भारत के सॉलिसिटर जनरल तथा NTA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने भी मामले से संबंधित कुछ पहलुओं पर न्यायालय को संबोधित किया। याचिकाकर्ताओं एवं हस्तक्षेपकर्ताओं की ओर से उपस्थित अन्य अधिवक्ताओं को भी सुना गया।
19. न्यायालय का यह मत था कि पारदर्शिता के सिद्धांत की पूर्ति हेतु यह उचित होगा कि NTA द्वारा परीक्षा परिणाम सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाएं। तदनुसार, न्यायालय ने निर्देश दिया कि NTA अपने वेबसाइट पर सभी अभ्यर्थियों के नगरवार (city-wise) एवं केंद्रवार (centre-wise) परिणामों को उनके नाम रहित (anonymised) रूप में 20 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे तक प्रकाशित करे। साथ ही, बिहार पुलिस को यह निर्देश दिया गया कि CBI को जांच स्थानांतरित किए जाने से पूर्व उसने जो सामग्री एकत्र की थी, उसका विवरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। उपर्युक्त सभी निर्देशों का पालन किया गया।
20. दिनांक 22 जुलाई 2024 को, याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि परीक्षा के एक प्रश्न से संबंधित NTA का दृष्टिकोण क्या विधिसंगत था या नहीं। इस विषय की सीमाओं का उल्लेख इस निर्णय के आगामी अंशों में विस्तार से किया गया है। चूंकि इस उप-विषय का संबंध प्रश्न के सही उत्तर से था, अतः न्यायालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), दिल्ली से विशेषज्ञ राय मांगी। IIT दिल्ली के निदेशक से यह अनुरोध किया गया कि वे तीन विशेषज्ञों की एक समिति गठित करें, जो प्रश्न का सही उत्तर निर्धारित कर न्यायालय को अगले दिन दोपहर 12 बजे तक अपनी राय प्रस्तुत करे। विशेषज्ञ समिति की राय अनुरोधानुसार न्यायालय को सौंप दी गई।
21. दिनांक 23 जुलाई 2024 को इस मामले में सभी पक्षों की बहस समाप्त हुई और न्यायालय ने सुनवाई पूर्ण होने के पश्चात् अपने निष्कर्ष न्यायालय में घोषित किए। न्यायालय का यह निर्णय था कि परीक्षा निरस्तीकरण के लिए इस न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्धारित मानदंड इस मामले में पूरा नहीं हुआ है, और इस प्रकार

पुनः परीक्षा (re-test)कराना औचित्य संगत नहीं है। न्यायालय के निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

“11. ... (i)यह विवादित नहीं है कि NEET (UG) 2024 के प्रश्नपत्र का लीक झारखंड राज्य के हजारीबाग एवं बिहार राज्य के पटना में हुआ था;

(ii)जांच का दायित्व स्थानान्तरित किए जाने के पश्चात्, CBI ने दिनांक 10 जुलाई 2024, 17 जुलाई 2024 एवं 21 जुलाई 2024 को स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। इन रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि जांच अभी भी प्रचलित है। CBI के अनुसार अब तक की जांच में यह उजागर हुआ है कि हजारीबाग एवं पटना के परीक्षा केंद्रों से लगभग 155 अभ्यर्थी धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं;

(iii)चूँकि वर्तमान समय में CBI की जांच अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँची है, अतः इस न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती आदेश में भारत सरकार को यह संकेत देने हेतु निर्देशित किया था कि क्या 571 नगरों के 4750 केंद्रों से प्राप्त परिणामों के आधार पर डेटा एनालिटिक्स द्वारा कोई प्रवृत्तियाँ (trends) दर्शायी जा सकती हैं। न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, भारत सरकार ने IIT मद्रासकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। याचिकाकर्ताओं द्वारा इस रिपोर्ट पर कथित पक्षपात के आधार पर आपत्ति दर्ज की गई है, जिसे इस निर्णय के तर्कसंगत भाग में संबोधित किया जाएगा। इस स्तर पर, न्यायालय ने NTA द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की स्वतंत्र रूप से जांच की है;

(iv)वर्तमान स्थिति में ऐसा कोई भी पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि परीक्षा का संपूर्ण परिणाम दूषित हो गया है अथवा परीक्षा की शुद्धता में प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है;

(v)अभिलेख पर निर्णायक सामग्री के अभाव के अतिरिक्त, वर्षों 2022, 2023 एवं 2024 के नगरवार और केंद्रवार आंकड़ों की तुलना भी प्रश्नपत्र के प्रणालीगत लीक का संकेत नहीं देती;

(vi)अंतिम निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायालय उस सुव्यवस्थित परीक्षण (settled test) "आईआईटी" डब्ल्यूपीसी 335/2024 के 8वें परीक्षणद्वारा मार्गदर्शित हुआ है कि क्या दोषयुक्त (tainted) अभ्यर्थियों को निष्कलंक (untainted) अभ्यर्थियों से पृथक किया जा सकता है। यदि भविष्य में जांच के दौरान और अधिक दोषयुक्त अभ्यर्थियों की पहचान होती है, तो परामर्श प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके विरुद्ध धोखाधड़ी अथवा

अनुचित साधनों का उपयोग सिद्ध हो, भविष्य में प्रवेश के निरंतर बने रहने का कोई निहित अधिकार (vested right) नहीं रखेगा

(vii)वर्तमान वर्ष के लिए NEET (UG) की पुनः परीक्षा का आदेश देना दो करोड़ से अधिक छात्रोंके लिए अत्यंत गंभीर दुष्परिणाम उत्पन्न करेगा। इस प्रकार का कदम उठाने से विशेष रूप से:(i)चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुसूची बाधित होगी और पूरी प्रक्रिया कई महीनों तक पीछे खिसक जाएगी; (ii)चिकित्सा शिक्षा के क्रम में श्रृंखलागत प्रभाव (cascading effects) उत्पन्न होंगे;(iii)भविष्य में योग्य चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और(iv)आरक्षण के अंतर्गत आने वाले वंचित वर्गों और कमजोर तबकों के छात्रों के लिए गंभीर असमानता उत्पन्न होगी।”

22. न्यायालय ने विवादित प्रश्न के सही उत्तर के संबंध में IIT दिल्ली की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। तदनुसार, NTA को निर्देशित किया गया कि वह सभी अभ्यर्थियों के अंक पुनरीक्षित (revised) करे और उनके रैंक उसी के आधार पर अद्यतन (update) करे। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी अभ्यर्थी को कोई व्यक्तिगत आपत्ति हो जो इस निर्णय में हल नहीं की गई हो, तो वह विधि के अनुसार उच्च न्यायालयों में उसका समाधान प्राप्त कर सकता है।अंततः, न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि भारत सरकार द्वारा सात-सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य परीक्षा के संचालन की प्रक्रियाओं से संबंधित समस्याओं को संबोधित करना है। न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश भी पारित किए:

“23. समिति इस न्यायालय द्वारा अपने अंतिम निर्णय एवं आदेश में जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों का पालन करेगी, जिनके अंतर्गत:

- (i) NEET (UG) एवं NTA के अधीन अन्य परीक्षाओं की संचालन प्रक्रिया को प्रभावी रूप से सुदृढ़ किया जा सके; तथा
- (ii) वर्ष 2024 में उजागर हुई घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।”

ग. पक्षकारों के तर्क

23. याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व श्री नरेंद्र हुड्डा, श्री संजय आर. हेगड़े (वरिष्ठ अधिवक्ता) एवं अन्य द्वारा किया गया, ने व्यापक रूप से निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

- (a) परीक्षा के आयोजन से पूर्व प्रश्नपत्र का व्यापक स्तर पर लीक हुआ, जिससे परीक्षा की अखंडता प्रणालीगत स्तर पर दूषित हो गई;

(b) वर्ष 2024 में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक (scores) और रैंकिंग में अत्यधिक वृद्धि देखी गई, जो पूर्ववर्षों की तुलना में असामान्य है;

- (c) NTA द्वारा प्राप्तांकों और रैंक में हुई इस वृद्धि का कारण 25% पाठ्यक्रम कटौती बताया गया है, परंतु यह तर्क भ्रामक है क्योंकि संशोधित पाठ्यक्रम में कुछ नए विषयों को भी सम्मिलित किया गया था;
- (d) वर्ष 2024 में NEET के परिणामों में आई अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण कई योग्य अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं, जिससे उन्हें सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करना कठिन हो गया है और वे निजी संस्थानों की ओर धकेले जा रहे हैं, जिन्हें अधिकांश मध्यमवर्गीय परिवार वहन नहीं कर सकते। इस वृद्धि ने रैंकिंग को विकृत कर दिया है और प्रवेश के अवसरों को प्रभावित किया है;
- (e) परीक्षा सामग्री के संचालन और परिवहन को लेकर गंभीर चिंताएं उठाई गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, हजारीबाग में प्रश्नपत्र के परिवहन में छह दिनों की देरी हुई, जो संभावित छेड़छाड़ की आशंका उत्पन्न करता है। ये चिंताएं NTA के सुरक्षित परिवहन और लाइव सीसीटीवी निगरानी के दावों के विपरीत रिपोर्ट्स के कारण और भी गंभीर हो जाती हैं;
- (f) OMR शीट्स परीक्षा के बाद कुछ समय तक परीक्षा केंद्र पर ही रहती हैं, जिससे उनके साथ छेड़छाड़ की संभावना रहती है यदि कोई ऐसा करना चाहे;
- (g) एक प्रश्न के मूल्यांकन में NTA ने निष्पक्ष अंकन प्रणाली का पालन नहीं किया। जहाँ केवल एक उत्तर सही था, वहाँ दो उत्तरों को सही मानते हुए दोनों के लिए अंक प्रदान किए गए, जिससे कई अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ;
- (h) प्रश्नपत्र का लीक 'टेलीग्राम' (Telegram – एक इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म) के माध्यम से हुआ;
- (i) NTA की 4 जून 2024 की प्रेस विज्ञप्ति में दिए गए 'तालिका 8' के आंकड़ों और 20 जुलाई 2024 को घोषित परिणामों के बीच विरोधाभास है;
- (j) IIT मद्रास के निदेशक की रिपोर्ट में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा की गई है:
 - (i) 720/720 का पूर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की असामान्य रूप से उच्च संख्या;
 - (ii) 700 अंकों से अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों में तीव्र वृद्धि;

- (iii) 600 से 720 अंक सीमा में रैंक वृद्धि की अत्यधिक प्रवृत्ति;
- (iv) शीर्ष रैंकधारियों का कुछ सीमित शहरों में सघन रूप से केंद्रित होना;
- (k) IIT मद्रास के निदेशक की रिपोर्ट अविश्वसनीय है क्योंकि इस मामले में हितों का टकराव (conflict of interest) है, चूँकि निदेशक NTA की जनरल बॉडी के सदस्य हैं;
- (l) 1563 अभ्यर्थियों को प्रतिपूरक अंक प्रदान किया गया, परंतु यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी और यह स्पष्ट नहीं था कि उनका चयन किस मानदंड के आधार पर किया गया, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि यह कुछ अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने हेतु की गई एक सुनियोजित प्रक्रिया थी;
- (m) स्वतंत्र विश्लेषणों से संकेत मिलता है कि आंकड़ों में विसंगतियाँ अब भी उजागर नहीं हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह केवल कुछ मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रणालीगत समस्या है। इससे यह आवश्यकता स्पष्ट होती है कि परीक्षा प्रक्रिया की विस्तृत और गहन समीक्षा की जाए;
- (n) प्रश्नपत्र का व्यापक लीक, OMR शीट्स के साथ संभावित छेड़छाड़, और प्रतिपूरक अंकों का दुरुपयोग – ये सभी व्यवस्थित विफलताओं की ओर संकेत करते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि NTA की परीक्षा सुरक्षा प्रणाली में गंभीर चूक हुई है;
- (o) NTA की पारदर्शिता की कमी इसके प्रारंभिक इनकार से स्पष्ट होती है, जब उसने लीक को नकारा और फिर उसके दावों में भी विरोधाभास दिखा – जैसे कि लीक की सीमा और प्रतिपूरक अंकों की स्थिति को लेकर;
- (p) पुनः परीक्षा की प्रक्रिया भेदभावपूर्ण थी। सभी प्रभावित अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा देने का अवसर नहीं दिया गया। साथ ही, NTA ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में प्रतिपूरक अंकों का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया;
- (q) NTA द्वारा निगरानी हेतु निजी संस्थाओं की नियुक्ति की जाती है, परंतु यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी निगरानी प्रणाली नहीं है कि ये निजी संस्थाएं अनुचित साधनों को न अपनाएं या भ्रष्ट आचरण में संलग्न न हों;
- (r) यह पूरा घोटाला परीक्षा प्रणाली और चिकित्सा पेशे में जनता के विश्वास को कमजोर कर चुका है, जिससे छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्काल सुधार

आवश्यक हैं ताकि सार्वजनिक विश्वास को बहाल किया जा सके और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

24. भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल तथा NTA की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरेश कौशिक ने निम्नलिखित दलीलें प्रस्तुत कीं:

- (a) किसी प्रकार की व्यापक या सामूहिक अनियमितता (mass malpractice) नहीं हुई है। केवल कुछ पृथक घटनाएं हुई हैं, जिनकी पहचान कर ली गई है और उनका समाधान कर दिया गया है। परीक्षा को रद्द करना और पुनः परीक्षा आयोजित करना न तो आवश्यक है और न ही यह जनहित में है;
- (b) गोधरा में अनुचित साधनों के प्रयास को प्रशासन द्वारा तत्परता से विफल कर दिया गया। पटना में जांच प्रक्रिया प्रचलित है और कुछ अभ्यर्थियों के परिणाम स्थगित कर दिए गए हैं। तथापि, धोखाधड़ी के आरोपी अभ्यर्थियों की प्रारंभिक संख्या परीक्षा में सम्मिलित हुए कुल अभ्यर्थियों की तुलना में अत्यंत न्यूनतम है;
- (c) पूर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि और कुल प्राप्तांकों में सामान्य रूप से हुई वृद्धि का कारण यह है कि गत वर्ष की तुलना में पाठ्यक्रम में लगभग 22-25% की कटौती की गई थी। साथ ही, प्रश्नपत्र सार्वजनिक रूप से सुलभ पाठ्यपुस्तकों के आधार पर तैयार किया गया था, ताकि वंचित सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम हो। शीर्ष 100 अभ्यर्थी देश के 56 विभिन्न शहरों में स्थित 95 अलग-अलग परीक्षा केंद्रों से थे, जो 18 राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं;
- (d) विवादित प्रश्न के संदर्भ में, परीक्षा से पूर्व जारी सूचना बुलेटिन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि यदि किसी प्रश्न के दो उत्तर सही पाए जाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने कोई भी एक सही उत्तर अंकित किया हो। अतः अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसमें दो सही उत्तर थे;
- (e) IIT मद्रास के निदेशक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि किसी भी प्रकार की सामूहिक अनियमितता अथवा अंकों के वितरण में क्षेत्रीय लाभ (localized advantage) का कोई साक्ष्य नहीं है। रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया कि विशेषकर 550 से 720 अंकों के बीच प्राप्तांक वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई, जिसका कारण पाठ्यक्रम में 25% कटौती को बताया गया। उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अनेक

शहरों एवं परीक्षा केंद्रों में पाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि अनुचित साधनों की संभावना अत्यंत न्यून है;

- (f) प्रश्नपत्र के 'टेलीग्राम' (Telegram) के माध्यम से लीक होने का कोई साक्ष्य नहीं है;
- (g) जिन अभ्यर्थियों पर अनुचित साधनों के प्रयोग का संदेह है, उनके परिणाम रोक दिए गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस

(Show Cause Notice) जारी किए गए हैं। भविष्य में यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो NTA यथोचित कार्रवाई करेगा;

- (h) परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया है;
- (i) पंजीकरण पोर्टल को दोबारा खोले जाने से किसी प्रकार की अनियमितता को बढ़ावा नहीं मिला;
- (j) IIT मद्रास के निदेशक द्वारा इस मामले में आंकड़ों का विश्लेषण किए जाने में हितों का टकराव (conflict of interest) नहीं है, क्योंकि वे केवल एक पदेन सदस्य (ex officio member) हैं।

घ. विचारार्थ प्रश्न

25. इस प्रकरण में विचारार्थ निम्नलिखित प्रमुख प्रश्न उत्पन्न हुए:

- (a) क्या विवादित प्रश्न का उत्तर NTA द्वारा संशोधित किया जाना चाहिए;
- (b) क्या इस प्रकरण में आंकड़ों के विश्लेषण के संबंध में IIT मद्रास के निदेशक के साथ हितों का टकराव (conflict of interest) था; और
- (c) क्या परीक्षा की शुद्धता (sanctity) एवं अखंडता (integrity) प्रणालीगत स्तर (systemic level) पर प्रभावित हुई थी।

ङ. न्यायालय का विश्लेषण

i. सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्य

(a) NTA द्वारा प्रस्तुत प्रश्नपत्रों की अभिरक्षा श्रृंखला (Chain of Custody) का विवरण

26. अपने शपथ-पत्रों में तथा न्यायालय में सुनवाई के दौरान, NTA ने प्रश्नपत्रों की अभिरक्षा श्रृंखला (chain of custody) के संबंध में एक समग्र विवरण प्रस्तुत किया, जिसमें प्रश्नपत्र की तैयारी से लेकर परीक्षा के दिन उसके वितरण तक के सभी चरणों का ब्यौरा सम्मिलित था। इस खंड में, NTA द्वारा प्रस्तुत जानकारी का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

27. इस प्रक्रिया की शुरुआत प्रश्न बैंक की तैयारी से होती है। अगस्त से दिसंबर 2023 के बीच, विशेषज्ञों को NTA कार्यालय में आमंत्रित किया गया, जहाँ कार्यशाला स्वरूप में प्रश्नों का निर्माण किया गया। ये सत्र एक सीमित (restricted) क्षेत्र में आयोजित किए गए, और प्रत्येक दिन विशेषज्ञों द्वारा उनके कार्य को सील कर सुरक्षित किया गया, जिससे विषयवस्तु की गोपनीयता एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

28. अगला चरण प्रश्नपत्रों की तैयारी, परीक्षण, समाधान और टंकण का था। 16 फरवरी से 28 फरवरी 2024 तक विषय विशेषज्ञों ने निरंतर CCTV निगरानी में दो स्वतंत्र प्रश्नपत्र तैयार किए। ये प्रश्नपत्र 1 मार्च से 7 मार्च 2024 के बीच कठोर समीक्षा और समाधान प्रक्रिया से गुजरे, जिसमें प्रतिक्रियाएं ली गईं और आवश्यक परिवर्तन किए गए। अंतिम प्रश्नपत्रों का टंकण गोपनीय रूप से किया गया, और प्रश्नपत्रों तथा उत्तर कुंजियों को अलग-अलग संग्रहित किया गया ताकि सुरक्षा में कोई संध न हो सके।
29. प्रश्नपत्रों की तैयारी के उपरांत, पांडुलिपियों को 31 मार्च 2024 को दो अलग-अलग मुद्रणालयों (printing presses) को अत्यंत सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत भेजा गया। प्रत्येक मुद्रणालय को 24 सेट के प्रश्नपत्र तैयार करने का कार्य सौंपा गया, जिसमें प्रश्नों का अनुक्रम यादृच्छिक (randomized) रूप में निर्धारित किया गया। इस प्रक्रिया की निगरानी हेतु दो अधिकारी तैनात किए गए थे।
30. साथ ही, OMR शीट्स एक अलग स्थान पर मुद्रित की गईं और उन्हें संबंधित प्रश्नपत्रों से जोड़ा गया। इसके बाद इन्हें पॉलीथीन कवर में सील कर अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया। प्रत्येक बैच में 72 पुस्तिकाएं रखी गईं, जिन्हें कपड़े की अस्तर वाले लिफाफों में बांधकर, GPS-सक्षम ताले लगे ट्रकों में रखा गया, और इनकी निगरानी पूरे समय रियल-टाइम CCTV द्वारा की गई।
31. अंतिम चरण में प्रश्नपत्रों का परीक्षा केंद्रों तक परिवहन और वितरण होता है। झारखंड के हजारीबाग हेतु प्रश्नपत्र 28 अप्रैल 2024 को एक निजी लॉजिस्टिक कंपनी के माध्यम से प्रेषित किए गए। ये सामग्री विशेष इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले बंद बाड़ी वाहनों द्वारा GPS ट्रैकिंग के अंतर्गत भेजी गई।
32. सभी शहरों में दो अलग-अलग 'कस्टोडियन बैंकों' में दो भिन्न सेट के प्रश्नपत्र संग्रहित किए गए: एक सेट केनरा बैंक में और दूसरा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में। 3 मई 2024 को इन बैंकों में सामग्री पहुँचाई गई और सुरक्षा कोषों (safety vaults) में रखी गई। फिर प्रश्नपत्रों को बैंकों से परीक्षा केंद्रों तक ई-रिक्शा के माध्यम से पहुँचाया गया।
33. परीक्षा के दिन, NTA के महानिदेशक द्वारा नियुक्त नगर समन्वयक (City Coordinators) जिम्मेदार होते हैं कि वे कस्टोडियन बैंक से सही सेट के प्रश्नपत्र एकत्र करें। प्रक्रिया के अनुसार, नगर समन्वयक को परीक्षा केंद्र अधीक्षक एवं NTA द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र पर्यवेक्षक के साथ जाना अनिवार्य है। NTA एक मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचित करता है कि किस बैंक (केनरा या SBI) से कौन-सा प्रश्नपत्र लिया जाना है। 5 मई 2024 को, नगर समन्वयकों को सूचित किया गया कि SBI के प्रश्नपत्रों को वितरित किया जाए, और उन्होंने वहीं से प्रश्नपत्र प्राप्त किए।
34. हमें सूचित किया गया कि प्रश्नपत्रों वाले ट्रकों को CCTV निगरानी युक्त कमरों में रखा गया और परीक्षा से 45 मिनट पूर्व (1:15 बजे दोपहर) खोला गया। इस प्रक्रिया की साक्ष्य पुष्टि दो पर्यवेक्षकों एवं दो अभ्यर्थियों द्वारा की गई। प्रत्येक पर्यवेक्षक

को 24 पुस्तिकाओं वाला एक लिफाफा दिया गया, जो बैठने की योजना के अनुसार वितरित की गई। 1:55 बजे अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्रों की सील खोलने की अनुमति दी गई, जो परीक्षा प्रारंभ होने से ठीक पूर्व का समय था।

(b) हजारीबाग, सवाई माधोपुर, पटना एवं अन्य स्थानों से संबंधित मुद्दे

35. पक्षकारों के अधिवक्ताओं के मध्य इस बात पर असहमति थी कि प्रश्नपत्र कब लीक हुआ। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने यह प्रस्तुत किया कि लीक की घटना 5 मई 2024 से पूर्व घटित हुई। उनका तर्क था कि प्रश्नपत्र 3 मई को ही लीक हो गया था, अर्थात् उसे बैंक में जमा करने से पहले – जिससे यह संकेत मिलता है कि लीक परीक्षा प्रक्रिया के आरंभिक चरण में ही हो गया था। भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने इसके विपरीत यह तर्क दिया कि प्रश्नपत्र 5 मई 2024 की सुबह, झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल से लीक हुआ।
36. NTA ने रिपोर्ट किया कि परीक्षा प्रश्नपत्र का लीक 5 मई 2024 को सुबह 8:02 बजे से 9:23 बजे के बीच हुआ। उनके अनुसार, आरोपी व्यक्ति ने ओएसिस स्कूल में स्थित स्ट्रॉन्गरूम के पिछले दरवाजे से अनधिकृत रूप से प्रवेश प्राप्त किया। अंदर जाकर उसने उन ट्रंकों में से एक को खोला जिसमें परीक्षा सामग्री संग्रहित थी। यह ट्रंक विशेष रूप से प्रश्नपत्रों की सुरक्षा हेतु संरक्षित भंडारण का भाग था। स्कूल के CCTV फुटेज में आरोपी को 8:02 बजे अंदर प्रवेश करते और 9:23 बजे बाहर जाते देखा गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आरोपी ने ट्रंक को पीछे से इस प्रकार खोला कि सील टूटे नहीं, फिर उसने प्रश्नपत्रों की तस्वीरें खींचीं, लिफाफे को पुनः सील किया और लगभग 9:30 बजे डिजिटल प्रतियां उत्तर हल करने वालों तक पहुँचा दीं।
37. जांच का कार्यभार CBI को सौंपे जाने के उपरांत, CBI ने 10 जुलाई 2024, 17 जुलाई 2024, और 21 जुलाई 2024 को अपनी स्थिति रिपोर्ट दाखिल की। वर्तमान में दाखिल रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि सबसे पहले वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान खंडों को हल किया गया, उसके बाद भौतिकी और रसायन विज्ञान को। रिपोर्ट के अनुसार, स्कैन किए गए प्रश्नपत्रों कोव्हाट्सऐप के माध्यम से पटना में स्थित कुछ व्यक्तियों को भेजा गया। रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि हल किए गए प्रश्नपत्रों को हजारीबाग के कुछ व्यक्तियों तक भी भेजा गया। विशेष रूप से, रिपोर्ट में पटना के दो स्थानों और हजारीबाग के दो स्थानों की पहचान की गई है। वर्तमान स्तर पर जांच से यह निष्कर्ष निकला है कि प्रश्नपत्र प्रातः 10:15 बजे के बाद ही छात्रों के साथ साझा किया गया और दोपहर 12 बजे के बाद उन्हें परीक्षा केंद्रों पर जाने का निर्देश दिया गया।
38. NTA ने 5 मई 2024 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह स्वीकार किया कि सवाई माधोपुर, राजस्थान स्थित गर्ल्स हायर सेकेंडरी मॉडल स्कूल, मंदिर, मनटाउन में प्रश्नपत्रों के गलत वितरण के कारण अभ्यर्थियों का काफी समय नष्ट हुआ। हालांकि, हमारे समक्ष की गई बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि बारह परीक्षा केंद्रों को प्रारंभ में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के स्थान पर केनरा बैंक से प्रश्नपत्र प्राप्त हुए। इनमें से चार केंद्रों ने त्रुटि की पहचान होने पर प्रश्नपत्रों को बदलकर SBI में सुरक्षित रखे गए प्रश्नपत्रों का उपयोग किया। परिणामस्वरूप,

आठ केंद्रों में अभ्यर्थियों ने केनरा बैंक के प्रश्नपत्रों से ही परीक्षा दी। इस कारण लगभग 3,307 अभ्यर्थियों का मूल्यांकन SBI के बजाय केनरा बैंक के प्रश्नपत्रों के आधार पर किया गया। NTA ने यह स्पष्ट किया कि दोनों सेट के प्रश्नपत्रों को समान कठिनाई स्तर बनाए रखने के लिए मॉडरेटरों द्वारा तैयार किया गया था।

39. CBI द्वारा दाखिल की गई रिपोर्टों से यह स्पष्ट होता है कि जांच अब भी प्रचलित है। वर्तमान चरण में CBI ने संकेत दिया है कि अब तक एकत्र की गई सामग्री से यह प्रतीत होता है कि हजारीबाग और पटना के परीक्षा केंद्रों के लगभग 155 अभ्यर्थी इस धोखाधड़ी के लाभार्थी प्रतीत होते हैं – जिनमें पटना से लगभग 30 और हजारीबाग से लगभग 125 हैं। हमारे समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रश्नपत्र अथवा हल उत्तर सोशल मीडिया पर व्यापक या बेतरतीब ढंग से प्रसारित किए गए थे।
40. पृथक रूप से, यह सामने आया कि गोधरा में अनुचित साधनों के प्रयोग की एक योजना को अंजाम दिए जाने से पूर्व ही उजागरकर विफल कर दिया गया। NTA द्वारा दाखिल शपथ-पत्र में यह कहा गया है कि एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन ने कुछ छात्रों के साथ मिलकर परीक्षा समाप्त होने के बाद OMR शीट में उत्तर भरने की साजिश रची थी। शपथ-पत्र में आगे कहा गया है कि पुलिस को समय रहते इस योजना की जानकारी मिल गई और परीक्षा आरंभ होने से पूर्व ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस साजिश में संलिप्त पाए गए अभ्यर्थियों की पहचान कर ली गई, उनके परिणामस्थगित कर दिए गए तथा उन्हें कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया गया।
41. उपर्युक्त स्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि परीक्षा के संचालन में NTA की ओर से कई प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ हुई हैं। सर्वप्रथम, यह तथ्य कि बारह केंद्रों पर SBI के बजाय केनरा बैंक के प्रश्नपत्र वितरित किए गए, यह समन्वय एवं पर्यवेक्षण की विफलता को प्रकट करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जहाँ चार केंद्रों ने गलती सुधार ली, वहीं आठ केंद्रों में त्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्रों से परीक्षा पूरी करवाई गई – जिससे यह संकेत मिलता है कि NTA, केंद्र समन्वयकों और बैंकों के बीच प्रभावी संचार का अभाव था।
42. द्वितीय, परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्रों कोई-रिक्शा के माध्यम से ले जाना सुरक्षा और विश्वसनीयता की दृष्टि से चिंताजनक है। ई-रिक्शा अपेक्षाकृत असुरक्षित होते हैं और उन पर समुचित निगरानी की कमी होती है, जिससे ये संवेदनशील परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन हेतु अनुपयुक्त हैं। यह पद्धति चोरी, छेड़छाड़ या दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को गंभीर जोखिम उत्पन्न हो सकता है। यद्यपि इस वर्ष इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष चूक सामने नहीं आई, फिर भी इस संभावना मात्र से ही परिवहन प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट होती है।
43. तृतीय, परीक्षा सामग्री के परिवहन हेतु निजी कूरियर सेवाओं का उपयोग संचालन मानकों में असंगतता ला सकता है और यह सरकारी माध्यमों जितनी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता। इस संबंध में यह आवश्यक है कि उचित प्रोटोकॉल और

उत्तरदायित्व निर्धारण की व्यवस्था की जाए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी सेवाएं उच्चतम सुरक्षा और भरोसेमंद मानकों का पालन करें।

44. चतुर्थ, CCTV निगरानी परीक्षा गतिविधियों पर नज़र रखने और यह सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है कि समस्त प्रक्रियाएं विधिपूर्वक अनुपालन में हों। इस निगरानी प्रणाली में कोई भी कमी, परीक्षा प्रक्रिया के दौरान होने वाली अनियमितताओं या उल्लंघनों की रोकथाम, पहचान एवं समाधान को कठिन बना देती है।

ii. एक प्रश्न हेतु प्रदान किए गए अंक संशोधित किए जाने आवश्यक हैं क्योंकि केवल एक विकल्प ही सही उत्तर है।

45. NEET (UG) 2024 परीक्षा में एक प्रश्न निम्नलिखित था:

“नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं क्योंकि वे समान संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश रखते हैं।

कथन II: प्रत्येक तत्व के परमाणु स्थिर होते हैं और वे अपनी विशिष्ट वर्णक्रम (characteristic spectrum) उत्सर्जित करते हैं।

उपरोक्त कथनों के परिप्रेक्ष्य में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें:

- (1) कथन I गलत है किंतु कथन II सही है।
- (2) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
- (3) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
- (4) कथन I सही है किंतु कथन II गलत है।”

46. हमने प्रश्न संख्या निर्दिष्ट नहीं की है, क्योंकि प्रश्न और विकल्प प्रश्नपत्र की विभिन्न श्रंखलाओं में भिन्न हो सकते हैं। प्रारंभ में, NTA की उत्तर कुंजी में चौथे विकल्प को सही उत्तर के रूप में दर्शाया गया था।

47. इसके पश्चात, NTA को प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि विकल्प (2) और विकल्प (4) दोनों को सही उत्तर माना जाए। अभ्यावेदनों में यह इंगित किया गया था कि दूसरा विकल्प NCERT की एक पुराने संस्करण की पाठ्यपुस्तक पर आधारित है। कई अभ्यर्थियों ने पुराने संस्करण की पाठ्यपुस्तक पर आधारित होकर दूसरा विकल्प सही उत्तर के रूप में चिह्नित किया था और तदनुसार उन्होंने चार अंक प्रदान किए जाने की मांग की। उन्होंने NTA सूचना बुलेटिन 2024 का भी हवाला दिया। इस बुलेटिन में यह उल्लेख किया गया है कि यदि किसी प्रश्न को उत्तर कुंजी सत्यापन के बाद गलत या हटा हुआ पाया जाता है, तो सभी अभ्यर्थियों को चार अंक प्रदान किए जाएंगे, चाहे उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया हो अथवा नहीं। प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

“(vi) यदि यह पाया जाता है कि किसी प्रश्न का कोई विकल्प सही नहीं है या कोई प्रश्न गलत है अथवा किसी प्रश्न को हटाया गया है, तो सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने परीक्षा दी है, चार अंक (+4) प्रदान किए जाएंगे, चाहे अभ्यर्थी ने प्रश्न का उत्तर दिया हो या न दिया हो।”

अभ्यावेदनों के प्रत्युत्तर में, NTA ने अपनी उत्तर कुंजी में संशोधन किया और उन सभी अभ्यर्थियों को अंक प्रदान किए जिन्होंने या तो विकल्प (2) या विकल्प (4) का चयन किया था।

48. कुछ याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि मूल्यांकन में इस परिवर्तन से कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ प्राप्त हुआ, जबकि अन्य को हानि हुई, जिससे समग्र मेरिट सूची और रैंकिंग पर प्रभाव पड़ा। यह विसंगति उन अनेक अभ्यर्थियों के प्रवेश परिणामों को प्रभावित कर सकती है जो न्यून अंतर से कट-ऑफ अंक या रैंक से चूक गए। *Kanpur University बनाम समीर गुप्ता* में यह निर्णय दिया गया था कि यदि प्रथम दृष्टया कोई प्रश्न अस्पष्ट प्रतीत होता है, तो ऐसे प्रश्न को हटा दिया जाना चाहिए। यह पूर्ववृत्त प्रतियोगी परीक्षाओं में स्पष्टता और सटीकता की आवश्यकता को बल देता है ताकि निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

49. 22 जुलाई 2024 को, इस न्यायालय ने IIT, दिल्ली के निदेशक से अनुरोध किया कि वे तीन सदस्यों की एक समिति गठित करें जो इस प्रश्न का सही उत्तर निर्धारित कर सके। निदेशक तथा ऊर्जा विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के एक प्रोफेसर ने 23 जुलाई 2024 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की कि एक समिति का गठन कर लिया गया है। यह समिति भौतिकी विभाग के प्रोफेसर प्रदीप्ता घोष, प्रोफेसर आदित्य नारायण अग्निहोत्री, और प्रोफेसर संकल्प घोष से युक्त थी।

50. गठित विशेषज्ञ समिति ने यह राय दी कि चौथा विकल्प सही उत्तर है। यह उत्तर निम्नानुसार है:

“(4) कथन I सही है किंतु कथन II गलत है।”

51. IIT, दिल्ली में गठित समिति ने पूर्ण स्पष्टता के साथ सही उत्तर को चिह्नित किया है और पुष्टि की है कि चौथा विकल्प वास्तव में सही है। इसी विकल्प को प्रारंभ में NTA द्वारा भी सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि विकल्प (2) और विकल्प (4) परस्पर विरोधी हैं, अर्थात् वे दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते।

52. IIT, दिल्ली के विशेषज्ञों की टीम ने स्पष्ट रूप से यह राय दी है कि उपर्युक्त प्रश्न का एकमात्र सही उत्तर चौथा विकल्प है। NTA ने सुनवाई के दौरान इस पर कोई आपत्ति नहीं की। हम IIT, दिल्ली की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। NTA सूचना बुलेटिन के आधार पर किया गया तर्क भ्रमित करने वाला है। यह प्रश्न न तो गलत था और न ही यह मामला था कि किसी भी विकल्प को सही नहीं माना जा सकता। यह भी ऐसा मामला नहीं था जिसमें दो विकल्प सही माने जाएं। केवल

एक उत्तर सही था। यह विवाद केवल पाठ्यपुस्तक के पुराने संस्करण में मौजूद अंतरविरोध के कारण उत्पन्न हुआ, न कि प्रश्न की अंतर्निहित त्रुटि अथवा विकल्पों की अनुपलब्धता के कारण। NTA द्वारा दोनों विकल्पों को अंक प्रदान करना उचित नहीं था। प्रश्न की वैधता को स्वीकार किया जाता है, और NTA को निर्देश दिया जाता है कि केवल चौथे विकल्प को ही सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया जाए।

53. यह परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। रैंकिंग का पुनः समायोजन आवश्यक है ताकि अभ्यर्थियों की वास्तविक योग्यता परिलक्षित हो सके, और पूर्व में गलत उत्तर को सही मानने से उत्पन्न विकृति का सुधार किया जा सके। यह कार्यवाई परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि सभी अभ्यर्थियों का मूल्यांकन समान और न्यायसंगत आधार पर किया गया है। यह उन अभ्यर्थियों की शिकायतों का समाधान भी करेगी जो इस प्रक्रिया से अनुचित रूप से प्रभावित हुए हैं, और इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में समानता और पारदर्शिता के सिद्धांतों की रक्षा की जाएगी।

iii. इस मामले में डेटा का विश्लेषण करने में IIT मद्रास के निदेशक के साथ हितों के टकराव की कोई स्थिति नहीं है

54. इस न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या NEET परीक्षा के परिणामों में संदेहास्पद मामलों या प्रवृत्तियों की पहचान हेतु डेटा एनालिटिक्स का उपयोग संभव है, भारत संघ ने इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु एक हलफनामा दायर किया। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने IIT मद्रास के निदेशक से इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों के परिणामों का व्यापक डेटा विश्लेषण करने का अनुरोध किया। साथ ही एक मापदंडों का सेट तैयार करने का भी अनुरोध किया गया।
55. इसके पश्चात IIT मद्रास ने डेटा का विश्लेषण किया। हलफनामे में कहा गया है कि यह कार्य पायथन (Python) द्वारा डेटा प्रोसेसिंग, पोस्टग्रेएसक्यूएल (PostgreSQL) द्वारा डेटा संग्रहण और मेटाबेस (Metabase) द्वारा विश्लेषण के माध्यम से किया गया, जो कि NTA से प्रासंगिक डेटा एवं जानकारी प्राप्त होने के बाद किया गया। IIT मद्रास द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश निम्नलिखित है:

"कार्यकारी सारांश:

क. अंकों का वितरण सामान्य बेल-आकार के वक्र (bell-shaped curve) का अनुसरण करता है, जैसा कि किसी भी बड़े पैमाने की परीक्षा में होता है, जो यह दर्शाता है कि कोई असामान्यता नहीं है।

ख. शहरवार और केंद्रवार विश्लेषण दो वर्षों (2023 और 2024) के लिए किया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं कोई असामान्य संकेत तो नहीं हैं। यह विश्लेषण शीर्ष 1.4 लाख रैंकों के लिए किया गया क्योंकि देशभर में कुल सीटों की संख्या लगभग 1.1 लाख है।

ग. यह विश्लेषण पर्याप्त सूक्ष्म (granular) है जिससे यह संकेत मिल जाता यदि किसी विशेष परीक्षा केंद्र या शहर के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ मिला होता या किसी अनियमितता के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी शीर्ष 5% में आ जाते।

घ. विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि न तो कोई सामूहिक कदाचार हुआ है और न ही किसी क्षेत्र विशेष के अभ्यर्थियों को लाभ मिला है जिससे असामान्य अंक प्राप्त हुए हों।

ङ. समग्र रूप से छात्रों के प्राप्तांक में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से 550 से 720 अंकों की सीमा में। यह वृद्धि सभी शहरों और केंद्रों में देखी गई है। इसका कारण पाठ्यक्रम में 25% की कमी बताया गया है। इसके अतिरिक्त, ऐसे उच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी विभिन्न शहरों और केंद्रों में फैले हुए हैं, जो कदाचार की बहुत कम संभावना को दर्शाता है।"

56. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने वाले IIT मद्रास के निदेशक की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर चिंता व्यक्त की। यह चिंता इस तथ्य पर आधारित थी कि निदेशक NTA की जनरल बॉडी के सदस्य पद पर नियुक्त थे।

57. 6 मार्च 2019 की अधिसूचना के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जो अब शिक्षा मंत्रालय है) ने NTA की जनरल बॉडी का गठन किया। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

"(iii) तीन IIT निदेशक अपने पदेन (ex officio) पद पर, जो JEE (Advanced) के वर्तमान, पूर्ववर्ती एवं आगामी अध्यक्ष हैं - सदस्य"

58. चूंकि वर्ष 2024 में JEE (Advanced) का आयोजन IIT मद्रास द्वारा किया गया था, अतः उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, संस्थान के निदेशक पदेन सदस्य थे। NTA के उपविधियों में जनरल बॉडी की भूमिका को परिभाषित किया गया है, जिसमें समग्र नीति मार्गदर्शन प्रदान करना, सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत लेखा पत्र और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट को टिप्पणियों सहित अनुमोदित करना, वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना और उसे स्वीकृत करना, वार्षिक कार्य योजना और बजट की सिफारिश करना, जनरल बॉडी के सदस्यों को नामित करना, प्रबंधन समिति या सदस्य सचिव को अधिकारों का प्रत्यायोजन करना, पदों का सृजन या समाप्ति करना, नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करना, समितियों या उप-समितियों का गठन

करना, और परीक्षाओं हेतु शुल्क लेना एवं अधिशेष निधियों का निवेश करना शामिल है।

59. उपविधियों में प्रबंधन समिति की भूमिका भी वर्णित है। इसमें सभी संचालनात्मक निर्णय लेना, NTA के संसाधनों का प्रबंधन करना, उसकी गतिविधियों का संचालन करना, वित्तीय स्थिति की निगरानी करना, और जनरल बॉडी के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्टों पर टिप्पणी करना शामिल है। NTA की आमदनी और संपत्ति पर सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भी प्रबंधन समिति को सौंपा गया है। विशेष बात यह है कि उपविधियों में यह स्पष्ट किया गया है कि NTA के उद्देश्यों से संबंधित सभी कार्य, शक्तियाँ एवं कार्यभार केवल प्रबंधन समिति द्वारा ही संपादित किए जाएंगे। प्रबंधन समिति की कार्यवाहियों को समय-समय पर जनरल बॉडी को सूचित करना आवश्यक है और वह जनरल बॉडी द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप कार्य करेगी।

60. प्रबंधन समिति एवं जनरल बॉडी के कर्तव्यों की तुलना से यह स्पष्ट है कि जनरल बॉडी NTA के प्रशासन की निगरानी और पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है जबकि दैनिक प्रशासन प्रबंधन समिति के अधीन है। जनरल बॉडी के सदस्य, ऐसा प्रतीत होता है, परीक्षा के आयोजन हेतु विस्तृत प्रोटोकॉल तैयार करने या वास्तविक समय में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देने में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न नहीं होते। इसके अतिरिक्त, वर्तमान IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने 29 सितंबर 2023 को आयोजित जनरल बॉडी की नवीनतम बैठक में प्रो. ए. गोपालकृष्णन को प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। प्रो. कामकोटी ने अंतिम बार 29 दिसंबर 2022 की बैठक में भाग लिया था। इन सभी तथ्यों (विशेषकर यह कि वे केवल पदेन सदस्य हैं) के संयुक्त रूप से विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकाला गया कि IIT मद्रास के निदेशक की रिपोर्ट को पक्षपात के आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी, न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि से इस न्यायालय ने इस मामले में याचिकाओं को स्वीकार किए जाने के प्रश्न पर निर्णय लेते समय प्रस्तुत आंकड़ों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किया है।

iv. वर्तमान तिथि तक किसी प्रकार की किसी सुनियोजित/प्रणालीगत (systemic) लीक के अस्तित्व का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है

क. विधिक स्थिति (Position of Law):

61. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इस मामले के तथ्यों और परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रश्नों के समाधान हेतु किसी नवीन विधिक सिद्धांत के विकास की आवश्यकता नहीं है। यह विधिक स्थिति स्थापित है कि किसी परीक्षा को, चाहे वह व्यावसायिक या अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के उद्देश्य से आयोजित की गई हो या किसी सरकारी पद पर नियुक्ति हेतु, केवल उन्हीं परिस्थितियों में रद्द किया जा सकता है जब परीक्षा की पवित्रता प्रणालीगत स्तर पर भंग पाई जाती है। न्यायालय परीक्षा को रद्द करने का निर्देश तब ही दे सकते हैं या सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई ऐसी रद्दीकरण की पुष्टि कर सकते हैं, जब यह संभव न हो कि अपवित्र (दोषपूर्ण) अभ्यर्थियों को पवित्र (दोषरहित) अभ्यर्थियों से पृथक किया जा सके।

62. **अनामिका मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग** के मामले में, उत्तर प्रदेश में विभिन्न शैक्षणिक सेवाओं के पदों पर नियुक्ति से संबंधित भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इस प्रक्रिया में दो चरण शामिल थे - एक प्रारंभिक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार। केवल वही अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते थे, उन्हें साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस मामले में, डेटा एंट्री में हुई त्रुटियों के कारण, कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त कर चुके थे, उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि कुछ अन्य अभ्यर्थी, जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए थे, उन्हें साक्षात्कार में बुलाया गया और चयनित भी कर लिया गया। इस त्रुटि को महसूस करते हुए, राज्य लोक सेवा आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को सही ठहराया। इस निर्णय के विरुद्ध की गई अपील को इस न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। इस न्यायालय ने पाया कि जब त्रुटियां केवल साक्षात्कार प्रक्रिया तक सीमित थीं, तो लिखित परीक्षा को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था। न्यायालय ने यह भी पाया कि अधिक उपयुक्त उपाय यह होता कि चयन प्रक्रिया को रद्द किया जाता और पहले से संपन्न लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार की प्रक्रिया को पुनः आयोजित किया जाता। अतः उस मामले में, न्यायालय का यह मत था कि जब कोई प्रणालीगत समस्या मौजूद नहीं थी, तो परीक्षा को रद्द करना उचित कदम नहीं था। यद्यपि न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहा, फिर भी इस निर्णय की सम्यक् व्याख्या करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायालय ने यह विचार किया कि क्या ताज़ा परीक्षा आयोजित करना उस शिकायत की प्रकृति और उस सीमा के सापेक्ष अनुपातिक (proportionate) था, जिसमें परीक्षा की अखंडता भंग हुई थी।

63. **बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा** मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से यह स्पष्ट होता है कि, ऐसे मामलों में जहाँ परीक्षा की वैधता को चुनौती दी जाती है, यह एक प्रासंगिक कारक होता है कि कितने या किस अनुपात में परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का सहारा लिया गया है। इस संदर्भ में न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है:

“13. यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ किसी विशेष व्यक्ति पर अनुचित साधनों के प्रयोग का आरोप हो, बल्कि यह परीक्षा केंद्र के सभी परीक्षार्थियों, या कम से कम उनमें से बहुत बड़ी संख्या के व्यवहार से संबंधित है। यदि यह किसी एक व्यक्ति पर अनुचित साधनों का आरोप लगाने का प्रश्न न होकर, पूरी परीक्षा को उस उद्देश्य के लिए अकारण और प्रभावहीन घोषित करने का मामला है, जिसके लिए परीक्षा आयोजित की गई थी...”

64. **माध्यमिक शिक्षा मंडल, म. प्र. बनाम अभिलाष शिक्षा प्रसार समिति** के मामले में, उस परीक्षा से संबंधित बोर्ड ने नायब तहसीलदार की एक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया था। इस रिपोर्ट में उल्लेख था कि छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र वितरित किए जाने से पहले ही नकल की जा रही थी और उन्हें अपनी किताबें व

अन्य सामग्री परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति दी गई थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि पर्यवेक्षकों और निगरानी अधिकारियों ने छात्रों को नकल करने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस न्यायालय ने यह पाया कि बोर्ड के पास परीक्षा को रद्द करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था और यह कि यह अत्यंत कठिन था कि यह पहचान की जा सके कि किन छात्रों ने अनुचित साधनों का प्रयोग किया और किन्होंने नहीं किया।

65. **सचिन कुमार बनाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड** के मामले में, इस न्यायालय ने उस विषय से संबंधित अनेक निर्णयों का विश्लेषण किया और इस प्रकार की कार्यवाहियों में न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:

“56. रेलवे भर्ती बोर्ड [All India Railway Recruitment Board बनाम के. श्याम कुमार, (2010) 6 SCC 614 : (2010) 2 SCC (L&S) 293], गोहिल [Gohil Vishvaraj Hanubhai बनाम गुजरात राज्य, (2017) 13 SCC 621 : (2018) 1 SCC (L&S) 80] और कलैमणि [State of T.N. बनाम ए. कलैमणि, (2021) 16 SCC 217 : 2019 SCC OnLine SC 1002] में सभी ने इस बात पर बल दिया है कि भर्ती करने वाली प्राधिकरण, अपने समक्ष उपलब्ध सामग्री के आधार पर, यह वास्तविक और सद्भावना से युक्त दृष्टिकोण अपना सकती है कि पूरी प्रक्रिया दूषित हो चुकी है और इसलिए एक नई चयन प्रक्रिया आरंभ की जानी चाहिए। चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता को उच्च न्यायालय द्वारा अपनी स्वयं की विषयानुसार राय से प्रतिस्थापित कर हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक कि निर्णय लेने वाली प्राधिकरण द्वारा ग्रहण की गई सामग्री अनुचितता या अनुपातहीनता के आधार पर दोषपूर्ण न हो। निस्संदेह, उस प्रक्रिया में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के प्रति निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण विचार है। कुछ परिस्थितियों में, ऐसे उम्मीदवारों को पहचाना जा सकता है जिन्होंने अनियमितताओं में लिप्तता दिखाई है, और उस स्थिति में यह संभव है कि दूषित और शुद्ध उम्मीदवारों को अलग किया जाए। दूसरी ओर, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहाँ अनियमितताओं का स्वरूप बहुआयामी हो और इस प्रकार हो कि शामिल उम्मीदवारों की संख्या इतनी अधिक हो कि दूषित और शुद्ध उम्मीदवारों को स्पष्ट रूप से अलग कर पाना असंभव हो जाए। उस स्थिति में, उपलब्ध सामग्री के आधार पर प्राधिकरण द्वारा सद्भावना से लिया गया निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के प्रयोग में तब तक बाधित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वह निर्णय अनुचितता या अनुपातहीनता के आधार पर दोषपूर्ण सिद्ध न हो जाए।”

66. परीक्षा की सत्यता (integrity) को प्रणालीगत स्तर पर प्रभावित (compromised) होने की जांच करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहले से आयोजित परीक्षा को रद्द करना और एक नई परीक्षा आयोजित करना एक अनुपातिक प्रतिक्रिया (proportionate response) हो। यही कारण है कि न्यायालयों को अनुचित साधनों (unfair means) के उपयोग की सीमा का मूल्यांकन करना आवश्यक है और इसके साथ ही यह अलग से विचार करना चाहिए कि क्या यह संभव है कि दोषी (tainted) और निर्दोष (untainted) उम्मीदवारों को अलग किया जा सके। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।
67. यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या कोई परीक्षा व्यापक समस्याओं से ग्रस्त है, न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुचित साधनों के उपयोग के आरोप प्रमाणित किए गए हों और प्रस्तुत सामग्री, जिसमें जांच रिपोर्ट भी शामिल हैं, उस निष्कर्ष की ओर संकेत करें। न्यायालय को उस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कम से कम कुछ साक्ष्य अवश्य मिलने चाहिए। यह मानक अनावश्यक रूप से कठोर नहीं होना चाहिए। विस्तार से कहें तो, यह आवश्यक नहीं है कि प्रस्तुत सामग्री केवल एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करे कि परीक्षा प्रणालीगत स्तर पर भ्रष्ट हुई है। हालांकि, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सामग्री में प्रणालीगत गड़बड़ी की वास्तविक संभावना अवश्य परिलक्षित होनी चाहिए। बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने यह स्वीकार किया था कि “पर्याप्त सामग्री” परीक्षा रद्द करने के निर्णय को उचित ठहराने के लिए आवश्यक है:

“14. ... यदि किसी केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को सहायता प्राप्त होती है और उन्हें 100% सफलता दिलाने का प्रबंध किया जाता है जबकि अन्य केंद्रों पर औसत सफलता दर केवल 50% है, तो यह स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय या बोर्ड को इस विषय में कुछ करना होगा। वह यह विस्तृत अर्ध-न्यायिक जांच नहीं कर सकता कि छात्रों को अपारदर्शी तरीके से सहायता मिली या नहीं, जिसमें उन्हें अपनी बात रखने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार दिया जाए, इससे पहले कि उनके परिणाम रोके जाएं या परीक्षा रद्द की जाए। यदि यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि विश्वविद्यालय की यह धारणा सही थी कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए, तो शैक्षणिक मानकों की दृष्टि से विश्वविद्यालय की समस्या की सराहना की जानी चाहिए।”

68. मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल बनाम अभिलाष शिक्षा प्रसार समिति (उपरोक्त) के मामले में भी, न्यायालय ने नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर विशेष भरोसा जताया, जिसमें यह दर्शाया गया था कि संबंधित छात्रों द्वारा नकल की जा रही थी और उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी, तथा यह संभव नहीं था कि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन छात्र नकल कर रहा था और कौन नहीं।
69. संघ सरकार बनाम राजेश पी.यू. के प्रकरण में, न्यायालय उस स्थिति से संबंधित था जहाँ अनुचित साधनों के लाभार्थियों को उन उम्मीदवारों से अलग किया जाना

संभव था, जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संपूर्ण चयन को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था और इस बात पर बल दिया कि न्यायालय के समक्ष उपलब्ध जानकारी तथा ठोस और प्रासंगिक सामग्री का अत्यधिक महत्व है। इसने निम्नलिखित शब्दों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया:

"उपरोक्त के आलोक में और इस तथ्य के अभाव में कि कोई विशिष्ट या स्पष्ट निष्कर्ष इस प्रकार समर्थित हो कि व्यापक स्तर की ऐसी खामियाँ थीं जो संपूर्ण चयन प्रक्रिया को इस सीमा तक प्रभावित कर रही थीं कि पूरी प्रक्रिया ही दूषित हो गई हो, और यह कि किसी भी प्रकार से उन उम्मीदवारों को अलग करना असंभव था जिन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैधता से लाभ उठाया हो, तो अन्य वैध रूप से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति से वंचित करना विधि में उचित नहीं था। किसी एकपक्षीय कठोर और मनमानी कसौटी को लागू करके संपूर्ण चयन को रद्द करना, जबकि दृढ़ और सकारात्मक जानकारी उपलब्ध थी कि चयनित 31 उम्मीदवारों को छोड़कर शेष के संदर्भ में कोई खामी नहीं पाई गई थी, तो यह प्रासंगिक तथ्यों की पूर्ण अवहेलना तथा अप्रासंगिक बातों के प्रभाव में आकर निर्णय लेना होगा, जो परिस्थितिजन्य विचारों की उपेक्षा करते हुए अनुपातिकता के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं और समस्या के समाधान से कहीं अधिक आगे जाकर कार्यवाही करते हैं।"

(प्रमुखता प्रदान की गई है)

ख. वर्तमान प्रकरण (The Present Case):

70. इस बात से कोई इनकार नहीं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और कुछ छात्रों ने अनुचित साधनों का सहारा लिया था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित किसी भी पक्ष, जिसमें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) भी शामिल है, ने इस तथ्य का खंडन नहीं किया। यद्यपि, प्रश्न यह है कि क्या यह लीक प्रणालीगत था और क्या यह परीक्षा की शुद्धता को इस हद तक प्रभावित करता है कि उसे अमान्य घोषित किया जाए। इस मामले में कई पहलू हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा विचार के लिए लिया जाना आवश्यक है - जैसे कि अंकों और रैंकों की असामान्य वृद्धि, प्रश्न पत्र का लीक होना, अन्य प्रकार की अनुचित गतिविधियाँ, पंजीकरण विंडो को फिर से खोलना, फॉर्म सुधार प्रक्रिया के दौरान शहर बदलने की अनुमति, और 1563 छात्रों को प्रतिपूरक अंक प्रदान करना। इन सभी को क्रमशः विचार में लिया गया है।
71. सबसे पहले, यह आवश्यक है कि नीट परीक्षा की कुछ विशेषताओं को समझा जाए। यह सर्वविदित है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया जाता है, उम्मीदवार की रैंक पर निर्भर करती है। तथाकथित 'योग्यता अंक' की अवधारणा को कभी-कभी गलत समझ लिया जाता है। योग्यता अंक प्रत्येक वर्ष परिणामों की घोषणा के बाद निर्धारित

किए जाते हैं और यह 50 वें परसेंटाइल के अनुरूप होते हैं। इस वर्ष, अनारक्षित श्रेणी के लिए 50 वां परसेंटाइल 720 में से 164 अंक पर निर्धारित किया गया है। वे उम्मीदवार जिन्होंने 164 या अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र माने जाते हैं। हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि सभी उम्मीदवार जिन्हें योग्यता अंक प्राप्त हैं, उन्हें किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश अवश्य मिलेगा। योग्यता अंक प्राप्त करना एक आवश्यक शर्त है, परंतु यह प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं है। NTA ने अपने हलफनामे में कहा है कि योग्यता अंकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निजी कॉलेज पूरी तरह से अयोग्य उम्मीदवारों को प्रवेश न दे सकें। केवल एक छोटा प्रतिशत वे छात्र जो योग्यता अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें उपलब्ध 1,08,000 सीटों में से किसी एक पर प्रवेश मिलता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस कुल संख्या में से 56,000 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं और शेष 52,000 सीटें निजी कॉलेजों में। इसलिए, यह अधिक उपयुक्त होगा कि सफलता की दर को इन 1,08,000 उपलब्ध सीटों के संदर्भ में आंका जाए। रैंक 1,08,000 का अंक 577 अंकों के लगभग है, और रैंक 56,000 का अंक लगभग 622 है।

72. परिणामों का डेटा विश्लेषण यह जानने के लिए लंबे समय से एक स्वीकृत विधि रही है कि किसी परीक्षा को किस हद तक दूषित किया गया है। *बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बनाम सुभाष चंद्र सिन्हा (उल्लेखित)* में, इस न्यायालय ने एक माध्यमिक विद्यालय परीक्षा को रद्द किए जाने के निर्णय की वैधता पर विचार किया था, जिसे बिहार के एक विशेष केंद्र में आयोजित किया गया था, जहां छात्रों द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था। उस केंद्र पर, जहां अनुचित साधनों के प्रयोग की आशंका थी, सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत लगभग 80% था। इसके विपरीत, अन्य केंद्रों पर औसत सफलता प्रतिशत 50% के लगभग था। न्यायालय ने 13 विषयों के विषयवार सफलता प्रतिशत पर भी विचार किया। न्यायालय के निर्णय में वर्णित अंकों से यह स्पष्ट था कि सभी विषयों में उम्मीदवारों का प्रदर्शन असाधारण रूप से बेहतर था, जिससे न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि “आंकड़े स्वयं बोलते हैं।” इस निष्कर्ष के बावजूद, न्यायालय ने कुछ उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाईं और उनकी जांच की। उसका निष्कर्ष (जो डेटा पर आधारित था) कि परीक्षा दूषित हुई थी, उत्तर पुस्तिकाओं द्वारा पुष्टि की गई, जिनमें यह प्रदर्शित हुआ कि उत्तरों में “असाधारण समानता” थी। इस प्रकार, डेटा विश्लेषण अनियमितता का पता लगाने के प्रयास में एक उपयोगी उपकरण है।
73. हमारे समक्ष प्रस्तुत परिणामों का प्रतिशत विभिन्न केंद्रों से प्राप्त सीटों के आधार पर किया गया विश्लेषण आरक्षण से प्राप्त होने वाली सीटों – जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग – को ध्यान में नहीं रखता। यदि इन आरक्षित श्रेणियों के आधार पर सीटों की गणना की जाए, तो 1,08,000 की कुल सीटों की संख्या लगभग आधी रह जाएगी। अतः, यह कहा जा सकता है कि यह डेटा विश्लेषण अत्यधिक सतर्कता के साथ किया गया है और इसके निष्कर्षों में कोई अतिरंजन नहीं किया गया है।
74. इस मामले में कुछ परीक्षा केंद्र विवाद के केंद्र में आ गए। यह आरोप लगाया गया कि झारखंड के हजारीबाग, बिहार के पटना और गुजरात के गोधरा में व्यापक स्तर

पर अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया। एनटीए द्वारा हज़ारीबाग से संबंधित जो आंकड़े 2024 के लिए प्रस्तुत किए गए हैं, वे निम्नलिखित हैं:

- a. कुल 2733 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया;
- b. 126 उम्मीदवार रैंक 1,08,000 के भीतर हैं। यह 4.6% की सफलता दर को दर्शाता है; और
- c. 58 उम्मीदवार रैंक 56,000 के भीतर हैं। यह 2.1% की सफलता दर को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, नीट की पिछली परीक्षाओं के आंकड़ों से पता चलता है कि हज़ारीबाग में उपलब्ध कुल सीटों के अनुपात में सफलता दर 2022 में 7.2% और 2023 में 6.0% थी। जब इन आंकड़ों की तुलना 2024 की सफलता दर 4.6% से की जाती है, तो कोई असामान्यता स्पष्ट नहीं होती। इसके विपरीत, इस वर्ष की सफलता दर पिछले दो वर्षों की तुलना में कम है।

75. पटना के लिए 2024 के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

- a. कुल 48,643 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। शहर में कुल 70 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई;
- b. 2691 उम्मीदवार रैंक 1,08,000 के भीतर हैं। यह 5.5% की सफलता दर को दर्शाता है; और
- c. 1482 उम्मीदवार रैंक 56,000 के भीतर हैं। यह 3.0% की सफलता दर को दर्शाता है।

2022 में, उपलब्ध कुल सीटों के आधार पर सफलता दर 8.9% थी और 2023 में यह दर 7.7% थी। अतः पटना में भी, इस वर्ष की सफलता दर (5.5%) पिछले दो वर्षों की तुलना में कम है। इसके अतिरिक्त, यहां कोई ऐसी अनियमितता सामने नहीं आती जो चिंता का कारण हो।

76. गोधरा के लिए 2024 के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

- a. कुल 2484 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। परीक्षा दो केंद्रों पर आयोजित की गई;
- b. 21 उम्मीदवार रैंक 1,08,000 के भीतर हैं। यह 0.8% की सफलता दर को दर्शाता है; और
- c. 13 उम्मीदवार रैंक 56,000 के भीतर हैं। यह 0.05% की सफलता दर को दर्शाता है।

तुलनात्मक रूप से देखें तो, गोधरा में सफलता दर 2022 में 1.5% और 2023 में 2.1% थी। अतः 2024 में गोधरा में अपेक्षाकृत कम संख्या में उम्मीदवार चयन

क्षेत्र में आए हैं। डेटा में ऐसा कोई अन्य विचलन नहीं है जो चिंता का विषय बने या जो किसी प्रणालीगत दोष की ओर इशारा करे।

77. उपर्युक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 2024 के परिणामों में, पिछले दो वर्षों के परिणामों की तुलना में कोई असामान्यता नहीं है। आईआईटी मद्रास के निदेशक की रिपोर्ट भी इस न्यायालय के निष्कर्ष का समर्थन करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस वर्ष के परिणामों की तुलना पिछले वर्षों से करने पर कोई "असामान्य संकेत" नहीं दिखाई देता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि "विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि न तो किसी प्रकार की व्यापक धांधली के संकेत हैं और न ही किसी विशेष स्थान या केंद्र के उम्मीदवारों को असामान्य अंक प्राप्त हुए हैं जिससे यह प्रतीत हो कि उन्हें अनुचित लाभ मिला हो।" अतः, परिणामों का विश्लेषण उन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में नहीं जाता जो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। प्रश्नपत्र का लीक होना व्यापक या प्रणालीगत प्रतीत नहीं होता। यह कुछ गिने-चुने शहरों तक सीमित जान पड़ता है, जिनकी पहचान पुलिस द्वारा की जा चुकी है या जिनकी पहचान सीबीआई द्वारा की जा रही है।
78. अब हम एनईईटी(NEET) के लिए पंजीकरण दोबारा खोले जाने के मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। पंजीकरण विंडो प्रारंभ में 9 फरवरी 2024 से 9 मार्च 2024 तक खुली थी। बाद में पंजीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 मार्च 2024 कर दिया गया। इसके पश्चात, एनटीए ने पंजीकरण पोर्टल को दो दिन - 9 और 10 अप्रैल 2024 को - दोबारा खोला। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने पंजीकरण दोबारा खोलने के कारणों तथा उन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के विषय में जानकारी मांगी जो इस अवधि में पंजीकृत हुए थे।
79. NTA ने बताया कि उसे अनेक अभ्यर्थियों से प्रस्तुतियाँ प्राप्त हुई थीं, जिन्होंने वन टाइम पासवर्ड (OTP), आधार प्रमाणीकरण, दस्तावेज़ अपलोड करने तथा भुगतान से संबंधित समस्याओं को उठाया था। अन्य तकनीकी समस्याएँ भी सामने आई थीं। इसके अतिरिक्त, ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्थान और कर्नाटक उच्च न्यायालयों ने NTA को निर्देश दिया कि जिन याचिकाकर्ताओं ने पंजीकरण की अंतिम तिथि के दौरान उपर्युक्त समस्याएँ बताई थीं, उन्हें पंजीकरण की अनुमति दी जाए। NTA ने यह भी कहा कि उसने पंजीकरण पोर्टल को पुनः इसलिए खोला ताकि ऐसे सभी समान परिस्थितियों वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अपना फॉर्म भरने की अनुमति दी जा सके।
80. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए आँकड़े उन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को दर्शाते हैं जिन्होंने 9 और 10 अप्रैल 2024 को पंजीकरण कराया और तत्पश्चात परीक्षा में भाग लिया। जो छात्र इन तिथियों को पंजीकरण करने के बावजूद परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए, उन्हें इस विश्लेषण से बाहर रखा गया है। 9 अप्रैल 2024 को पंजीकरण करने वाले 8039 अभ्यर्थियों में से केवल 5 अभ्यर्थी टॉप 1,08,000 रैंक के भीतर रहे और केवल 2 अभ्यर्थी टॉप 56,000 रैंक के भीतर आए। यह क्रमशः 0.06% और 0.02% की सफलता दर को दर्शाता है। आगे, 10 अप्रैल 2024 को पंजीकरण कर परीक्षा में सम्मिलित होने वाले 14,007 अभ्यर्थियों में से 44 अभ्यर्थी टॉप 1,08,000 रैंक के भीतर और 23 अभ्यर्थी टॉप 56,000 रैंक के भीतर

रहे। यह क्रमशः 0.31% और 0.14% की सफलता दर को दर्शाता है। ये आँकड़े यह संकेत नहीं देते कि 9 और 10 अप्रैल 2024 को पंजीकरण करने वाले असाधारण संख्या में अभ्यर्थी सफल हुए। हमें ऐसा कोई असामान्य पैटर्न नहीं दिखता जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि पंजीकरण पोर्टल का दोबारा खोला जाना किसी प्रकार की अनुचित साधनों की सुविधा का कारण बना। वर्तमान समय में अभिलेख पर ऐसा कोई अन्य सामग्री नहीं है जिससे विपरीत निष्कर्ष निकाला जा सके।

81. अगला विषय जो विचार हेतु प्रस्तुत होता है वह यह है कि कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए अपनी पसंदीदा शहरों को बदला, जिसके कारण उनके परीक्षा केंद्र भी परिवर्तित हो गए। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ऐसा कदाचार को सक्षम करने के उद्देश्य से किया गया। जब फॉर्म सुधार की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों ने अपनी पसंदीदा शहरों में बदलाव किया, तब 33 अभ्यर्थी हजारीबाग गए, 637 पटना गए, और 24 गोधरा गए। हजारीबाग से परीक्षा देने वाले इन 33 में से केवल 1 अभ्यर्थी की रैंक 56,000 या उससे ऊपर रही। इस प्रकार सफलता दर 3% रही। पटना के लिए अपने केंद्र को बदलने वाले 637 अभ्यर्थियों में से केवल 35 अभ्यर्थी टॉप 1,08,000 रैंक के भीतर आए, जिससे सफलता दर 5.5% रही। इनमें से 17 अभ्यर्थियों ने 622 से अधिक अंक प्राप्त किए (जो कि रैंक 56,000 से मेल खाता है)। सफलता दर 2.7% रही। गोधरा की ओर केंद्र बदलने वाले 24 अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी 577 से अधिक अंक (जो कि 1,08,000 रैंक के बराबर है) प्राप्त नहीं कर सका। यहाँ भी, उपलब्ध आँकड़ों में कोई असामान्यता परिलक्षित नहीं होती और यह संकेत नहीं मिलता कि कोई प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है। जिन अभ्यर्थियों ने अपनी पसंदीदा शहर बदली, उनमें असामान्य रूप से अधिक सफलता दर नहीं देखी गई। यह विकल्प अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराया जाता है। अतः केवल इस आधार पर कि कुछ अभ्यर्थियों ने अपनी पसंदीदा शहरें बदलीं, इसे कदाचार या बेईमानी के इरादे का प्रमाण नहीं माना जा सकता। कोई निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ अन्य ठोस और प्रासंगिक सामग्री भी न्यायालय के समक्ष होनी चाहिए।

82. सुनवाई के दौरान पक्षकारों ने टेलीग्राम (एक इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप्लिकेशन) पर एक वीडियो को लेकर भी प्रस्तुतियाँ दीं, जिसमें कथित रूप से प्रश्नपत्र का लीक दिखाया गया था। यह दावा किया गया कि यह लीक 4 मई 2024 को हुआ था। इस संदर्भ में, NTA ने अपने हलफनामे में यह कहा कि टेलीग्राम पर साझा किया गया वीडियो असली नहीं है, बल्कि उसमें छेड़छाड़ की गई है और उसका टाइम-स्टैम्प इस तरह बदला गया है जिससे यह प्रतीत हो कि प्रश्नपत्र परीक्षा की तारीख से पहले लीक हुआ था। CBI की जाँच से यह सामने आया कि वीडियो में दिखाई गई तस्वीरों के साथ वास्तव में छेड़छाड़ की गई थी। साथ ही, यह भी पाया गया कि वह टेलीग्राम चैनल 6 मई 2024 को बनाया गया था और प्रश्नपत्र 7 मई 2024 को अपलोड किया गया था। इसलिए, इस आरोप में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं पाया गया है और यह आरोप निराधार साबित हुआ।

83. जहाँ तक उन 1563 उम्मीदवारों की बात है, जिन्हें प्रारंभ में मुआवज़ा अंक (compensatory marks) प्रदान किए गए थे, इस न्यायालय के दिनांक 13 जून 2024 के आदेश में यह पाया गया कि उनके लिए पुनः परीक्षा (re-exam)

आयोजित किया जाना एक उचित और न्यायसंगत कदम था। अतः यह मुद्दा अब शेष नहीं रह गया है। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय के दिनांक 23 जुलाई 2024 के आदेश के अनुसार NTA को यह अनुमति दी गई थी कि वह पुनः परीक्षा के परिणामों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करे।

84. इसलिए, वर्तमान में अभिलेख पर ऐसा कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है जो यह इंगित करे कि प्रश्नपत्र का लीक (leak) प्रणालीगत स्तर पर हुआ है अथवा अन्य प्रकार की प्रणालीगत कदाचार (systemic malpractice) हुआ है। अभिलेख में मौजूद सामग्री इस आरोप का समर्थन नहीं करती कि परीक्षा की निष्पक्षता को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा है। इसके विपरीत, आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ऐसे कोई विचलन (deviations) नहीं हैं जो यह दर्शाते हों कि किसी प्रणालीगत धोखाधड़ी (systemic cheating) को अंजाम दिया गया है। वर्तमान समय में हमारे समक्ष उपलब्ध जानकारी यह नहीं दर्शाती कि प्रश्नपत्र को सोशल मीडिया या इंटरनेट के माध्यम से बड़े पैमाने पर वितरित किया गया था या उत्तरों को छात्रों तक किसी अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से पहुंचाया गया था जिनका पता लगाना कठिन होता। हजारीबाग और पटना में जिन छात्रों को प्रश्नपत्र लीक का लाभ मिला है, उनकी पहचान संभव है। CBI की जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि हजारीबाग और पटना में इस घोटाले से लाभ प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि धोखाधड़ी या कदाचार से लाभ उठाने वाले छात्रों को ईमानदार छात्रों से अलग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय एक पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्देश नहीं दे सकता।
85. पिछले अनुभाग में, जिसमें इस मुद्दे पर विधिक स्थिति (position of law) को प्रस्तुत किया गया है, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि परीक्षा की शुद्धता के प्रणालीगत स्तर पर प्रभावित होने के परीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहले से आयोजित परीक्षा को रद्द करना और एक नई परीक्षा आयोजित करना एक अनुपातिक प्रतिक्रिया हो। यदि यह संभव है कि कदाचार में लिप्त उम्मीदवारों को ईमानदार उम्मीदवारों से अलग किया जा सकता है, तो परीक्षा को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ऐसा करने से ईमानदार उम्मीदवारों को, जो किसी भी प्रकार की अनियमितता में शामिल नहीं थे, अनावश्यक रूप से नुकसान झेलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी कदाचार या धोखाधड़ी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई अनुपातिक नहीं होनी चाहिए। एक पुनः परीक्षा आयोजित करने का निर्देश शैक्षणिक कार्यक्रमों के समय-सारिणी को बाधित करेगा। प्रवेश प्रक्रिया में देरी से भविष्य में रेजिडेंट डॉक्टरों की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है, जो रोगियों की देखभाल के लिए आवश्यक होते हैं। इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई का प्रभाव वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों पर अधिक पड़ता है। यदि पुनः परीक्षा आयोजित की जाती है, तो ये छात्र विशेष रूप से प्रभावित होंगे – और ये कोई वांछनीय परिणाम नहीं हैं।
86. याचिकाकर्ताओं ने अपने इस तर्क के समर्थन में कि पुनः परीक्षा का निर्देश दिया जाना चाहिए, इस न्यायालय के Tanvi Sarwal बनाम CBSE तथा Sachin Kumar (उपरोक्त) में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है। यह आवश्यक है कि

इन दोनों मामलों के तथ्यों और निर्णयों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाए ताकि यह समझा जा सके कि वे वर्तमान मामले में किस हद तक लागू होते हैं।

87. Tanvi Sarwal मामले में, न्यायालय ने ऑल इंडिया प्री-मेडिकल और प्री-डेंटल एंट्रेंस टेस्ट 2015 की वैधता को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर निर्णय सुनाया, जिसमें तर्क दिया गया था कि परीक्षा की निष्पक्षता अनुचित साधनों के उपयोग के कारण प्रभावित हुई थी। परीक्षा के संपन्न होने के बाद, समाचार रिपोर्टों में यह खुलासा हुआ कि परीक्षा के दौरान कई उम्मीदवारों को उत्तर कुंजियाँ (Answer Keys) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से भेजी गई थीं। न्यायालय ने उस मामले में जांच एजेंसी द्वारा दायर कई स्थिति रिपोर्टों से निम्नलिखित तथ्य नोट किए:

- a. कुछ गिरफ्तार व्यक्तियों ने यह बताया कि उन्होंने परीक्षा में अनुचित सहायता प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र से 20 लाख रुपये वसूलने की योजना बनाई थी;
- b. एक गिरफ्तार व्यक्ति चिकित्सक था। उसके मोबाइल फोन में कई उत्तर कुंजियाँ पाई गईं, जिन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से दो अन्य मोबाइल नंबरों पर भेजा गया था;
- c. पुरुषों और महिलाओं के लिए ऐसे जैकेट बरामद किए गए जिनमें माइक्रो सिम लगे थे;
- d. एक व्यक्ति से ब्लूटूथ उपकरण बरामद किया गया, जो अनुचित साधनों को सुगम बनाने के प्रयास में था;
- e. प्रश्नपत्र राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड़ में लीक हुआ था। गिरफ्तार व्यक्तियों ने परीक्षा के दौरान छात्रों को उत्तर पहुंचाने की योजना बनाई थी, उन जैकेट्स के माध्यम से जिनमें माइक्रो सिम लगे थे। कम से कम 300 ऐसे जैकेट्स का उपयोग किया गया था;
- f. जिन व्यक्तियों को इस योजना के मास्टरमाइंड के रूप में चिह्नित किया गया, उन्होंने झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा और हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों में लोगों से संपर्क करने के लिए कई फोन नंबरों का उपयोग किया था;
- g. 358 मोबाइल नंबरों का प्रयोग प्रश्नपत्र के उत्तरों को देशभर में कई लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए किया गया था;
- h. कुछ उम्मीदवारों ने स्वीकार किया कि उन्हें परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से उत्तर प्राप्त हुए थे, जो कथित अपराधियों द्वारा प्रदान किए गए थे;
- i. उस समय तक, प्रश्नपत्र लीक के 44 लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी थी;

j. जांच एजेंसी ने स्पष्ट किया कि यह संदेह से परे है कि परीक्षा के दौरान उत्तरों को प्रदान करने की योजना एक संगठित गिरोह द्वारा बनाई और क्रियान्वित की गई थी, जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ था; और

k. हरियाणा के पुलिस महानिरीक्षक ने यह स्वीकार किया कि यह संभव नहीं है कि प्रश्नपत्र लीक से लाभ उठाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार की पहचान की जा सके।

88. उपलब्ध जानकारी के आधार पर, न्यायालय के समक्ष दो विकल्प थे - या तो उन 44 उम्मीदवारों के परिणाम रोके जाएँ, जो अनुचित साधनों से लाभान्वित हुए थे, और काउंसलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ने दिया जाए; अथवा परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। न्यायालय का विचार था कि प्रश्नपत्र लीक की जो विधि अपनाई गई थी, उससे यह संभावना बनती है कि वे 44 उम्मीदवार जिनकी पहचान हो चुकी थी, उनके अतिरिक्त और भी अनेक उम्मीदवार इस अनुचित प्रणाली से लाभान्वित हुए होंगे। न्यायालय ने यह माना कि लीक के सभी लाभार्थियों की पहचान कर पाना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, न्यायालय का यह भी मत था कि उन 44 पहचाने गए लाभार्थियों को अलग कर देना पर्याप्त समाधान नहीं होगा, क्योंकि यह संभावना बनी रहती है कि कुछ ऐसे लाभार्थी, जिनकी पहचान नहीं हो पाई, वे ईमानदार उम्मीदवारों के मुकाबले लाभ की स्थिति में रहेंगे। न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि परीक्षा की पवित्रता भंग हो चुकी है और इस आधार पर परीक्षा को रद्द कर, दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया।

89. तन्वी सरवाल मामले (उपर्युक्त) को हमारे समक्ष प्रस्तुत मामले से कई कारणों से भिन्न माना जा सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण यह है कि उस मामले में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी के लिए उन्नत तकनीक का सहारा लिया था, जैसे कि माइक्रो सिम लगे हुए विशेष बनवाए गए वस्त्र। वर्तमान मामले में अभी तक ऐसा कोई तकनीकी साधन सामने नहीं आया है। दूसरा, उस मामले में यह पाया गया था कि परीक्षा की तिथि से पहले ही प्रश्नपत्र को व्हाट्सएप पर साझा कर दिया गया था। जब किसी दस्तावेज को सोशल मीडिया पर साझा कर दिया जाता है, तो उसके प्रसार को ट्रैक करना अत्यंत कठिन हो जाता है। जबकि इस मामले में अब तक उपलब्ध रिकॉर्ड से यह संकेत नहीं मिलता कि परीक्षा की तिथि से पहले प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर साझा किया गया था। तीसरा, तन्वी सरवाल के मामले में यह भी सामने आया था कि पूरे देश में फैले एक संगठित गिरोह की सहायता ली गई थी और आरोपियों द्वारा अनेक राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों को कई अलग-अलग फोन नंबरों से कॉल किए गए थे। वर्तमान मामले में ऐसा कोई अखिल-भारतीय नेटवर्क सामने नहीं आया है। चौथा, उस मामले में न्यायालय ने यह पाया था कि प्रश्नपत्र लीक के लाभार्थियों को ईमानदार उम्मीदवारों से पृथक कर पाना संभव नहीं है। जबकि वर्तमान मामले में न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि धोखाधड़ी में लिप्त उम्मीदवारों की पहचान जांच एजेंसियों द्वारा की जा सकती है। इन सभी कारणों से, तन्वी सरवाल

का निर्णय इस मामले के याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सहायक नहीं है। इस मामले में प्रस्तुत आरोप रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री द्वारा पुष्ट नहीं होते।

90. सचिन कुमार मामले (उपर्युक्त) में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (जिसमें हममें से एक, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ भी सम्मिलित थे) उस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित थी जो हेड क्लर्क के पद के लिए आयोजित की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने परीक्षा की प्रक्रिया में कुछ अनियमितताओं के आधार पर इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। इस निर्णय को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने रद्द कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के समक्ष जब यह मामला आया, तो उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय को आंशिक रूप से सही ठहराया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गई अपीलों के परिणामस्वरूप यह मामला इस न्यायालय के समक्ष आया।
91. उस मामले में, परीक्षा के दौरान हुई अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। अपनी रिपोर्ट में, समिति ने अन्य बातों के साथ यह पाया कि चयन क्षेत्र में आने वाले बड़ी संख्या में उम्मीदवार दिल्ली के एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित थे, एक महत्वपूर्ण अनुपात उन्हीं समुदायों से था (जैसा कि उनके उपनामों से स्पष्ट होता है), और यह कि बैठक योजना में रैंडमाइजेशन (यानी यादृच्छिक व्यवस्था) की कमी के कारण एक ही परिवार के उम्मीदवारों को लगातार सीटों पर बैठा दिया गया था। इसके अतिरिक्त, समिति ने यह भी उल्लेख किया कि कुछ व्यक्तियों ने एक संगठित गिरोह बनाकर नकल करवाई, जिसमें उम्मीदवारों का प्रतिरूपण, प्रश्नपत्र की चोरी और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू प्रक्रियाओं को कमजोर करना शामिल था, जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग को धुंधला करना, दोषपूर्ण जैमर आदि।
92. इसके बाद, दिल्ली सरकार ने विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले उम्मीदवारों की पहचान करने के उद्देश्य से, जिनमें प्रतिरूपण की संभावना थी, एक दूसरी समिति गठित की। इस समिति ने पाया कि जिन व्यक्तियों ने मूल्यांकन के लिए उपस्थित होकर

अपनी पहचान सत्यापित करवाई, उनकी उम्मीदवारी में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। इसके बाद, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री ने परीक्षा को रद्द कर दिया, जिससे उनके इस निर्णय को चुनौती दी गई।

93. मामला यह था कि क्या भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय उचित था। इस न्यायालय ने माना कि परीक्षा की विश्वसनीयता उस प्रणालीगत अनियमितता से प्रभावित हुई थी, जिसे सरकार द्वारा गठित पहली समिति की जांच में उजागर किया गया था। न्यायालय ने पाया कि परीक्षा की पवित्रता को लेकर जो आरोप लगाए गए थे, वे बाद की जांच से प्रमाणित हुए थे। अतः, इसने उपमुख्यमंत्री द्वारा परीक्षा को रद्द करने के निर्णय को सही ठहराया और उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया।
94. वह मामला भी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वर्तमान मामले से भिन्न था। **Sachin Kumar** (उपर्युक्त) मामले में न्यायालय के समक्ष जो सामग्री प्रस्तुत की गई थी, वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त थी कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, जिससे परीक्षा की निष्पक्षता प्रणालीगत स्तर पर प्रभावित हुई थी। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि चयन क्षेत्र में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी एक ही संकेंद्रित भौगोलिक क्षेत्र से थे और एक ही परिवार के परीक्षार्थी लगातार सीटों पर बैठे थे। वहाँ पर छद्मवेश (impersonation) और सुरक्षा प्रोटोकॉल की योजनाबद्ध रूप से शिथिलता पाई गई थी। उस मामले में न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। वर्तमान मामले में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः, उस मामले का निर्णय इस मामले के निष्कर्ष को प्रभावित नहीं कर सकता। साथ ही, इस प्रकार के मामलों में, न्यायालय को अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों का समग्र रूप से मूल्यांकन करना होता है और एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचना होता है। भिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार की कार्यवाहियाँ उपयुक्त होती हैं।

च. NTA का आचरण : चिंतन का विषय

95. यद्यपि अब तक चर्चा किए गए विभिन्न मुद्दों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि **NEET** की निष्पक्षता प्रणालीगत स्तर पर भ्रष्ट हुई है, परंतु इस वर्ष **NTA** द्वारा परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया कई गंभीर चिंताओं को जन्म देती है। न्यायालय इस बात से भलीभांति अवगत है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएँ, जिनमें लाखों विद्यार्थी भाग लेते हैं, विशाल संसाधनों, समन्वय और पूर्व नियोजन की मांग करती हैं। लेकिन यही कारण है कि **NTA** जैसे निकाय का अस्तित्व है। यह कोई उचित तर्क नहीं है कि चूँकि परीक्षा कई केंद्रों पर आयोजित होती है या प्रतिभागियों की संख्या अधिक है, इसलिए त्रुटियाँ हो सकती हैं। **NTA** के पास प्रयाप्त संसाधन उपलब्ध हैं। उसके पास पर्याप्त वित्तीय सहायता, समय और अवसर उपलब्ध हैं ताकि वह **NEET** जैसी परीक्षाओं का आयोजन बिना किसी चूक के कर सके।
96. परीक्षा के आयोजन में कई घटनाएँ ऐसी हुईं, जिनके कारण न्यायालय को उपरोक्त टिप्पणियाँ करनी पड़ीं। पटना और हजारीबाग में प्रश्न पत्र का लीक होना सामने आया। एक केंद्र में, स्ट्रॉगरूम के पिछले दरवाजे को खोलकर अनधिकृत व्यक्तियों

को प्रश्न पत्रों तक पहुंचने दिया गया। यह सुरक्षा में गंभीर चूक को दर्शाता है और इस बात की आवश्यकता को रेखांकित करता है कि NTA को सख्त और प्रभावी

सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य सामने आया कि कई बार प्रश्न पत्रों कोई-रिक्शा में ले जाया गया तथा निजी कूरियर सेवाओं का उपयोग किया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुड्डा ने सही रूप से इस बात की ओर इंगित किया कि NTA ने यह निर्दिष्ट नहीं किया था कि परीक्षा समाप्त होने के बाद OMR शीट्स को किस समय तक सील किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की स्पष्ट व्यवस्था के अभाव में, अनुचित प्रवृत्तियों वाले व्यक्ति OMR शीट्स के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, भले ही परीक्षार्थी उन्हें भर कर परीक्षा कक्ष से बाहर निकल चुके हों। एक और चिंता का विषय यह है कि NTA ऐसे लोगों पर निर्भर करता है जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होते, ताकि वे परीक्षा के लिए निरीक्षक का कार्य करें। ऐसे कई उपाय हो सकते हैं, जिनके माध्यम से निरीक्षकों पर समुचित नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकता है और अनुचित साधनों के प्रयोग की संभावना को घटाया जा सकता है। ये सभी मुद्दे यह स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि सुरक्षा प्रोटोकॉल को कड़ा करने की आवश्यकता है, ताकि कदाचार और धोखाधड़ी की संभावनाओं को घटाया जा सके और निजी व्यक्तियों द्वारा प्रश्न पत्रों तक पहुंच को सीमित किया जा सके।

97. कम से कम बारह केंद्रों में, कैंडिडेट्स को केनरा बैंक में संग्रहीत प्रश्न पत्र गलती से वितरित किए गए। जबकि उन्हें एसबीआई(SBI) में संग्रहीत प्रश्न पत्र मिलने चाहिए थे। कई केंद्रों में अभ्यर्थियों ने गलत प्रश्न पत्र को हल कर दिया और अंततः उसी के आधार पर मूल्यांकन किया गया, जबकि अन्य केंद्रों में संबंधित अधिकारियों ने गलती को पहचाना और उसके बाद सही प्रश्न पत्र वितरित किया गया। यह या तो यह संकेत करता है कि शहर के समन्वयक (सिटी कोऑर्डिनेटर) लापरवाह थे और अपने कर्तव्यों के लिए उपयुक्त नहीं थे, या फिर यह कि उन्हें यह सूचना ठीक से नहीं दी गई थी कि कौन-सा प्रश्न पत्र छात्रों को वितरित किया जाना है। निश्चित रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि न तो केनरा बैंक और न ही एसबीआई को यह बताया गया था कि उनके पास रखे गए प्रश्न पत्रों को वितरित किया जाना है या नहीं। जब तक सिटी कोऑर्डिनेटर अधिकृत प्रमाण प्रस्तुत करते, तब तक प्रश्न पत्र जारी कर दिए जाते थे। अभिरक्षक बैंक (कस्टोडियन बैंक) को यह सूचित किया जाना चाहिए था कि उनके पास सुरक्षित रखे गए प्रश्न पत्रों को जारी करना है या नहीं। यदि अभिरक्षक बैंकों को इस विषय में सूचित कर दिया गया होता, तो शहर के समन्वयक गलती से भी गलत प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं कर सकते थे, भले ही उन्होंने ईमानदारी से गलती की हो। NTA को संभावित सभी परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए और सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया का प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए।

98. संबंधित पक्षों के साथ वास्तविक समय में संवाद की सुविधा प्रदान करने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग, NTA को यह सक्षम बना सकता है कि वह अभिरक्षक बैंकों को उस समय के ठीक कुछ मिनट पहले सूचना दे सके जब शहर के समन्वयक को प्रश्न पत्र प्राप्त करने का प्राधिकरण दिया गया हो। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अभिरक्षक बैंकों से जुड़े कोई भी अनुचित व्यक्ति उन सूचनाओं का अनुचित लाभ न उठा सके जो उन्हें पहले से प्राप्त थीं। NTA पहले से ही एक मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करता है, जिसके माध्यम से वह

शहर समन्वयकों और अन्य संबंधितों से संवाद करता है, अतः यह कोई कठिन कार्य नहीं होगा कि वह अभिरक्षक बैंकों से भी उसी प्रकार संवाद करे। अन्य संवाद के तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है और उन्हें अपनाया जा सकता है, बशर्ते कि अभिरक्षक बैंकों को यह सूचना प्राप्त हो कि उनके पास सुरक्षित रखे प्रश्न पत्रों को जारी करना है या नहीं।

99. किसी प्रतियोगी परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में प्रवेश पाने के विकल्प रखते हैं। इस कारण, पूर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का दर्जा अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है। जब परिणाम घोषित किए गए, तो यह सामने आया कि 67 अभ्यर्थियों ने 720 में से 720 अंकप्राप्त किए हैं। 1563 अभ्यर्थियों को प्रदत्त मुआवज़ा अंकों को हटाने और उनके लिए पुनर्परीक्षा आयोजित किए जाने के बाद यह संख्या घटकर 61 रह गई। इसके पश्चात्, सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी गई कि 61 में से 44 शीर्ष अंकधारकों ने उस विवादास्पद प्रश्न का उत्तर गलत विकल्प के रूप में चिह्नित किया था। 23 जुलाई 2024 के अपने निर्णय में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि NTA केवल एक विकल्प को सही मानते हुए उत्तर कुंजी में संशोधन करे और उसी आधार पर अंक व रैंक पुनः निर्धारित करे। इन निर्देशों का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि वही 44 अभ्यर्थी अब 720 में से 720 अंक नहीं रख पाएंगे। इस प्रकार, पूर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घटकर सत्रह (17) रह जाती है। यह अत्यंत गंभीर विषय है कि यह संख्या सुनवाई के दौरान 67 से घटकर 17 हो गई। न्यायालय के हस्तक्षेप, मीडिया की रिपोर्टिंग तथा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं ने यह सुनिश्चित किया कि निष्पक्षता एवं न्याय के हित में ये परिवर्तन किए गए। तथापि, NTA द्वारा अपनाई गई प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि निष्पक्ष परिणाम स्वयं प्रणाली से ही प्राप्त हों, न कि तब जब बाहरी कारक प्रेरक बनें। प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो जनसामान्य में विश्वास उत्पन्न करे।
100. एक और अत्यंत खेदजनक पहलू यह है कि उन 1563 अभ्यर्थियों के संबंध में ज़िम्मेदार निर्णय लेने में गंभीर लापरवाही देखी गई, जिन्हें प्रारंभ में मुआवज़ा अंकप्रदान किए गए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, प्रारंभ में NTA द्वारा गठित समिति ने मुआवज़ा अंक प्रदान करने की सिफारिश की थी। किंतु जब इन अंकों के आवंटन से संबंधित विवाद गहराया, तब एक दूसरी समिति गठित की गई। इस दूसरी समिति ने मुआवज़ा अंक निरस्त करने और संबंधित छात्रों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की। NTA जैसा एक निकाय, जिसे अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन की व्यापक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, ऐसी कोई गलती करने की स्थिति में नहीं होना चाहिए कि वह पहले एक निर्णय ले और बाद में उसे बदल दे। ऐसे सभी निर्णय पूर्वविवेक, समुचित सोच और निर्णय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए। एक के बाद एक विरोधाभासी निर्णय (flip-flops) न्याय की अवधारणा के सर्वथा विरुद्ध हैं।
101. उम्मीदवारों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा और शिक्षा के व्यवसायीकरण ने कुछ शहरों या कस्बों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के केंद्र बना दिया है। यद्यपि इन शहरों या कस्बों की सफलता दर कुछ अन्य स्थानों की

तुलना में अधिक हो सकती है, इन केंद्रों पर अनुचित साधनों (malpractice) के उपयोग के

उदाहरणों को किसी अन्य स्थान पर हुए ऐसे ही उदाहरणों के समान माना जाना चाहिए। अनुचित साधनों के सभी मामलों से दृढ़ता के साथ निपटा जाना चाहिए।

102. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को यह निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय में न्यायालय द्वारा उजागर की गई सभी चिंताओं को संबोधित करना सुनिश्चित करे। केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी सिफारिशें तैयार करते समय इन मुद्दों को ध्यान में रखे।

छ. परीक्षा के संचालन से संबंधित समस्याएँ और केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का कार्यक्षेत्र

103. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं ने यह आग्रह किया कि परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत त्रुटियाँ हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुचित साधनों का प्रयोग न हो, एक अधिक व्यापक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। चूंकि यह परीक्षा भविष्य के चिकित्सा पेशेवरों के करियर को आकार देती है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होंगे, इस परीक्षा में योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समझौता स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता के साथ-साथ उम्मीदवारों के करियर को खतरे में डालता है। परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जनता का उस पर से विश्वास उठ जाए।
104. संरचनात्मक मुद्दों की गहन जांच और समाधान के लिए एक समिति का गठन आवश्यक है। उपयुक्त रूप से योग्य विशेषज्ञों वाली एक समर्पित समिति परीक्षा की सुरक्षा उपायों, उम्मीदवार सत्यापन प्रक्रियाओं और परीक्षा के समग्र प्रबंधन की व्यापक समीक्षा सुनिश्चित कर सकती है। कमजोरियों की पहचान और उन्हें सुधारकर, ऐसी समिति परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल करने में सहायता करेगी और भविष्य में कदाचार को रोकने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करेगी।
105. न्यायालय को सूचित किया गया है कि केंद्र सरकार ने एक सात-सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन कर रहे हैं। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

- “(i) डॉ. रणदीप गुलेरिया, सदस्य
- (ii) प्रोफेसर बी. जे. राव, सदस्य
- (iii) प्रोफेसर राममूर्ति के., सदस्य
- (iv) श्री पंकज बंसल, सदस्य
- (v) प्रोफेसर आदित्य मित्तल, सदस्य
- (vi) श्री गोविंद जयसवाल, सदस्य सचिव”

106. केंद्र सरकार और NTA द्वारा सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त, समिति के दायरे में निम्नलिखित कार्य भी शामिल होंगे:

a. परीक्षा सुरक्षा और प्रशासन

- i. परीक्षा प्रशासन के तंत्र में सुधारों का मूल्यांकन और सिफारिश करना। इसमें प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर अंतिम परिणाम घोषित करने तक हर चरण में कड़े नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करना शामिल होगा।
- ii. मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करना, जिसमें पंजीकरण, वांछित शहरों में बदलाव, OMR शीटों को परीक्षार्थी द्वारा निरीक्षक को सौंपने के बाद सील करने की समय-सीमा, और परीक्षा संचालन से संबंधित अन्य प्रक्रियाएँ निर्धारित हों। एक बार NTA द्वारा अपनाई जाने के बाद, SOP का पालन करना परीक्षा की अखंडता बनाए रखने के लिए अनिवार्य होगा।
- iii. वर्तमान में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र आवंटित करने की प्रक्रिया की समीक्षा करना और निष्पक्षता और पारदर्शिता के हित में आवश्यक परिवर्तन सुझाना। अभ्यर्थियों की प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जा सकता है।
- iv. अभ्यर्थियों की पहचान सत्यापित करने के लिए सख्त प्रक्रियाएँ सुझाना, यदि आवश्यक हो, ताकि नकल-धाँधली रोकी जा सके और केवल पंजीकृत एवं अधिकृत अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। इनमें परीक्षा के विभिन्न चरणों (जैसे पंजीकरण, परीक्षा केंद्र में प्रवेश, और परीक्षा शुरू होने से पहले) में बढ़ी हुई पहचान जांच और धोखाधड़ी रोकने के लिए तकनीकी नवाचार शामिल हो सकते हैं। सभी प्रक्रियाएँ गोपनीयता कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए।
- v. सभी परीक्षा केंद्रों में व्यापक CCTV निगरानी प्रणाली की व्यवहार्यता पर विचार करना, जिसमें सभी गतिविधियों की वास्तविक समय में निगरानी और रिकॉर्डिंग शामिल हो। इसका उद्देश्य किसी भी अनुचित गतिविधि या अनधिकृत क्रियाकलाप को रोकना, पता लगाना और घटना के मामले में साक्ष्य उपलब्ध कराना होगा।
- vi. प्रश्न पत्रों के सेटिंग, प्रिंटिंग, परिवहन, भंडारण और हैंडलिंग की प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनमें सुधार के सुझाव देना। इसमें छेड़छाड़-रोधी पैकेजिंग और सुरक्षित लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं का उपयोग शामिल हो सकता है ताकि महत्वपूर्ण चरणों में अनधिकृत पहुँच और लीक रोकी जा सके। ई-रिक्शा के बजाय ताले लगे बंद वाहनों और वास्तविक समय ट्रैकिंग प्रणाली के उपयोग की व्यवहार्यता पर भी विचार किया जाएगा।
- vii. परीक्षा केंद्रों के नियमित ऑडिट और अचानक निरीक्षण की व्यवहार्यता पर विचार करना ताकि स्थापित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जा सके, संभावित कमजोरियों या त्रुटियों की पहचान और सुधार किया जा सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी केंद्र उच्चतम परीक्षा सुरक्षा मानकों का पालन करें।
- viii. एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने की सिफारिश करना, जिससे अभ्यर्थी किसी भी अनियमितता या समस्या की शीघ्र सूचना दे सकें।

b. डेटा सुरक्षा और तकनीकी उन्नयन

- i. उन्नत डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन विधियों पर शोध करना और सुझाव देना। ये उपाय परीक्षा सामग्री को अनधिकृत पहुँच और संभावित लीक से बचाएंगे, जिससे सभी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहेंगी।
- ii. परीक्षा सामग्री से संबंधित डिजिटल फुटप्रिंट्स की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए सिस्टम सुझाना। इसमें डिजिटल वॉटरमार्किंग और ट्रैकिंग तकनीकें शामिल हो सकती हैं, जो लीक दस्तावेजों की उत्पत्ति का पता लगाने और इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रक्रिया में संभावित उल्लंघनों की पहचान में मदद करेंगी।
- iii. साइबर सुरक्षा ऑडिट और कमजोरियों के आकलन की आवृत्ति निर्धारित करने पर विचार करना, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वितरण और भंडारण प्रणालियों में संभावित कमियों की पहचान और सुधार किया जा सके। ये ऑडिट वर्तमान सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करेंगे और नवीनतम साइबर सुरक्षा प्रवृत्तियों के आधार पर सुधार सुझाएंगे।
- iv. परीक्षा सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए तकनीकी नवाचारों का अन्वेषण करना, जिसमें डिजिटल प्रमाणीकरण, सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और अन्य उभरती तकनीकें शामिल हैं, जो संभावित खतरों से सुरक्षा प्रदान करें।

c. नीति और हितधारक संलग्नता

- i. NTA की नीतियों और SOPs की समीक्षा और अद्यतन के लिए सुझाव देना ताकि वे सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप हों और एजेंसी परीक्षा सुरक्षा में बदलती चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम हो।
- ii. एक पारदर्शी संचार रणनीति स्थापित करना, जिससे सभी हितधारकों जैसे अभ्यर्थी, शैक्षणिक संस्थान, और जनता को परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा के उपायों तथा किसी भी अनुचित साधन की पहचान और उसके प्रति NTA की प्रतिक्रिया के बारे में सूचित रखा जा सके।
- iii. संपूर्ण संचार रणनीति लागू करने की सिफारिश करना, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारक – बैंकों, परीक्षा केंद्रों और लॉजिस्टिक पार्टनर्स सहित – पूरी तरह सूचित रहें। इस रणनीति में परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन, भंडारण, और हैंडलिंग के प्रोटोकॉल का विवरण होना चाहिए और किसी भी मुद्दे या बदलाव की नियमित जानकारी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- iv. परीक्षा प्रक्रिया में भागीदारी या लाभ में किसी भी सामाजिक-आर्थिक असमानता को संबोधित करने और कम करने के उपाय सुझाना। इसमें वंचित अभ्यर्थियों को सहायता और संसाधन प्रदान करना शामिल हो सकता है,

ताकि समान अवसर सुनिश्चित किए जा सकें और प्रवेश में बाधाएं कम हो सकें।

d. सहयोग और अंतरराष्ट्रीय समन्वय

- i. NTA द्वारा अन्य देशों के परीक्षा निकायों और शैक्षणिक प्राधिकारियों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं, सुरक्षा उपायों, और नवाचारों को साझा करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग में शामिल होने की व्यवहार्यता पर विचार करना।
- ii. परीक्षा सुरक्षा से संबंधित संभावित जोखिमों की पहचान, आकलन और न्यूनीकरण के लिए एक प्रबंधन ढांचे के निर्माण का सुझाव देना। इसमें जोखिम आकलन, आकस्मिक योजनाएं, और परीक्षा प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली अनपेक्षित चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतियाँ शामिल होंगी।

e. समर्थन और प्रशिक्षण

- i. छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमों के विकास और क्रियान्वयन के लिए योजनाओं या रणनीतियों की सिफारिश करना, जिसमें काउंसलिंग सेवाएं और तनाव प्रबंधन कार्यशालाएं शामिल हों। ये कार्यक्रम परीक्षा के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को संबोधित करेंगे और परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सभी अभ्यर्थियों के कल्याण को सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए संबंधित क्षेत्रों के योग्य विशेषज्ञों से परामर्श लिया जाना चाहिए।
- ii. परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी कर्मियों (जैसे प्रश्न पत्र तैयार करने वाले, पर्यवेक्षक, और प्रशासनिक कर्मचारी) के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करना। इन कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रोटोकॉल, नैतिक मानदंड, और नवीनतम तकनीक का समावेश होना चाहिए ताकि सभी शामिल लोग परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हों।

107. समिति अपने कार्यों का निर्वहन करते समय इस निर्णय के अनुभाग F में उल्लिखित तथ्यों और मुद्दों को ध्यान में रखेगी।
108. शिक्षा मंत्रालय ने 22 जून 2024 को जारी एक अधिसूचना द्वारा इस समिति का गठन किया। अधिसूचना में कहा गया कि समिति की रिपोर्ट अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, अर्थात् 22 अगस्त 2024 तक। तथापि, इस निर्णय के अनुसार समिति के विस्तृत दायरे को देखते हुए, NEET परीक्षा के संचालन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समग्र रिपोर्ट के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक हो सकता है। इसलिए, समिति की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय को 30 सितंबर 2024 तक सौंपनी होगी। शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट प्राप्त होने के एक माह के भीतर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय लेगा और उसके आधार पर कार्य योजना बनाएगा तथा उसका क्रियान्वयन प्रारंभ करेगा। शिक्षा मंत्रालय को इन निर्देशों के पालन की सूचना योजना लागू करने के निर्णय के दो सप्ताह के भीतर न्यायालय को देनी होगी।

ज. अंतिम टिप्पणियाँ

109. इस मामले में न्यायालय का मुख्य प्रश्न यह था कि क्या इस वर्ष NEET की शुद्धता (Sanctity) भंग हुई और क्या इस प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से

परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। ऊपर दिए गए उत्तर के आधार पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि कोई छात्र, जिसमें वर्तमान बैच के छात्र भी शामिल हैं, कोई व्यक्तिगत शिकायत रखता है जो इस निर्णय में हल किए गए मुद्दों से सम्बंधित नहीं है, तो उसे अपने अधिकारों और उपचारों का पालन करने का अधिकार है, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित उच्च न्यायालय का रुख करना भी शामिल है। तथापि, उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त करने से पूर्व, याचिकाकर्ताओं को इस न्यायालय में दायर अपनी याचिकाओं को वापस लेने का आवेदन करना होगा, यदि कोई याचिका प्रस्तुत की गई हो।

- 110. NTA या किसी अन्य पक्ष द्वारा 2024 में NEET की वैधता से संबंधित उठाए गए स्थानांतरण याचिकाएं मंजूर की जाती हैं। परिणामी स्थानांतरित मामले ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार निपटाए जाएंगे, इस शर्त के साथ कि शेष व्यक्तिगत शिकायतों को संबंधित उच्च न्यायालय में संबोधित किया जा सकता है। व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित अंतरिम आवेदन भी इसी शर्त के तहत वापस लिए जा सकते हैं।
- 111. इस निर्णय में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्रश्नपत्र लीक या अन्य प्रकार की अनुचित प्रथाओं के संबंध में आपराधिक कार्यवाहियों में तथ्यात्मक निष्कर्ष के रूप में समझा जाए। तथापि, इस निर्णय को उन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन से बचने के लिए आधार नहीं बनाया जाएगा जिनके जुर्म का पता चला है, चाहे वह पहले ही पहचाने गए हों या भविष्य में पहचाने जाएं। ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो किसी भी अनुचित प्रथा का लाभार्थी पाया जाएगा।
- 112. निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि के लिए उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।
- 113. याचिकाएं उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारित की जाती हैं।

.....CJI.
[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

..... J.
[जे बी पारदिवाला]

..... J.
[मनोज मिश्रा]

नई दिल्ली;
02 अगस्त, 2024

D Chandak